लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2004 में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2004 में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२ जनवरी, २००४ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २२ जनवरी, २००४ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	09
3	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक २००४-२००५	18
4	इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु गोमती नगर विभूति खण्ड में आरक्षित २५.०० एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित परिचालन से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	19
5	अलीगंज आवासीय योजना के सेक्टर क्यु में श्रीमती शफातन को आवन्टित भवन संख्या : ई.डी. २५८/क्यु पर लगाये गये पूर्ण दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	25

6	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत १९ वैयक्तिक सहायको के पदों को वेतनमान ४०००-६००० से ४९००-७००० में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	26
7	सीतापुर रोड योजना (जानकीपुरम) के सेक्टर एफ में सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल ६७८०.०० वर्गमीटर) के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	39
8	रायबरेली रोड स्थित मे. यूनिटेक लि० व्दारा विकसित साउथसिटी के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र के ब्लाब 'जे' में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड से आवासीय (ग्रुपहाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	48
9	गोमती नगर योजना के विशेष खण्ड में आरक्षित 'सामुदायिक सुविधाओ' के भूखण्ड के आंशिक भाग (५०० वर्गमी०) के भू-उप० को 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	49
10	श्रीमती शीला चतुर्वेदी को आवन्टित भवन संख्या : एमआईजी १५ए सेक्टर सी अलीगंज योजना पर आरोपित ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	50

11	प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित ३१३१.३४ वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में	52
12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2004 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

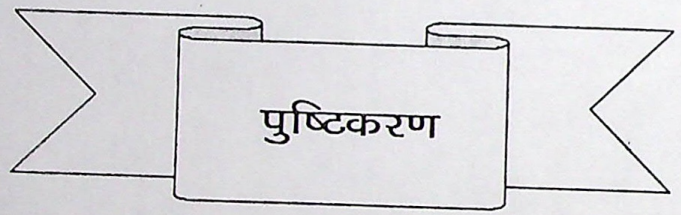

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2004 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2004 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	श्री डी०सी०लाखा	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मनोज सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्रीमती आराधना शुक्ला	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री श्रीप्रकाश सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5.	श्री राम वृक्ष प्रसाद	विशेष सचिव,उ०प्र०शासन, आवास एवं शहरी नियोजन, लखनऊ।
6.	श्रीमती पभावती	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
7.	श्री वी.के.गुप्ता	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि आवास आयुक्त, विशेष आमन्त्री।

अन्य उपस्थित :

9.	कु० रेखा गुप्ता	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री एन.के.सिंह	वि०कार्याधिकारी, ल०वि०प्रा०।
11.	श्री एस०डी०दोहरे	अपर सचिव, ल०वि०प्रा०

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। गोमती तट विकास परियोजना के सम्बन्ध में विगत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के कम में उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० व्दारा अवगत कराया गया कि पुरातत्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो गई है। उपाध्यक्ष व्दारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों हेतु अध्यक्ष महोदय व्दारा उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस हेतु वे बधाई के पात्र हैं।

विषय संख्या : 3 — सी०एस०आई० टान्जिट हास्टल, विपिन खण्ड गोमती नगर के निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदार व्दारा की जा रही क्षतिपूर्ति की मांग के भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय : — परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 4 — विपिन खण्ड स्थित प्राधिकरण भवन के ब्लाक बी-2 के प्रस्तावित एक तल के स्थान पर ब्लाब बी-4 पर एक अतिरिक्त तल के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 5 — गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या : 3/12 से 3/14 के सम्मुख व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरुप भूखण्ड की दर आवासीय लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 6 — महायोजना 2001-2021 तैयार किये जाने हेतु UDPFI [URBAN DEVELOPMENT PLAN FORMULATION AND IMPLEMENTATION] गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — महायोजना 2001-2021 तैयार किये जाने हेतु UDPFI [URBAN DEVELOPMENT PLAN FORMULATION AND IMPLEMENTATION] गाइड लाइन्स को किस सीमा तक अंगीकृत किया जा सकता है, इस बिन्दु पर नियोजन एवं विधिक दृष्टि से परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जो समस्त तथ्यों का विधिवत् परीक्षण कर एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति के अन्य सदस्य निम्नवत् होगें :-

१. मुख्य विधि परामर्शी, ल०वि०प्रा०
२. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,
३. मुख्य वास्तुविद, उ०प्र०आवास विकास परिषद,
४. मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० (संयोजक)

विषय संख्या : 7 — सरल शमन योजना - 2002 के अन्तर्गत आवासीय से नर्सिंग होम में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8 — वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : 8/158 से 8/160 के सम्मुख स्थित स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 9 — गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में ताज होटल व प्राधिकरण कार्यालय के मध्य मेसर्स अमृत वाटलर प्रा०लि० को होटल हेतु आवन्टित भूखण्ड संख्या : 3 के भू-उपयोग को "होटल" से " मल्टीप्लेक्स " में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मल्टीप्लेक्स की पहुँच मार्ग न्यूनतम २४ मीटर में प्रश्नगत भू-भाग पर केवल १८ मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के कारण पहुँच मार्ग में शिथिलता प्रदान करने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया कि आवेदक को स्थल पर नियमानुसार पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं शासन से शिथिलता की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भू-भाग का उपयोग होटल से मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। यह भी प्रतिबन्ध होगा कि नियमानुसार पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

विषय संख्या : 10 — गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में भूखण्ड संख्या : 3/8 व 3/9 के सम्मुख स्थित 45 मीटर रोड पर 'व्यवसायिक उपयोग' हेतु परिवर्तित भूखण्ड (बैडमिन्टनहाल के पिलर बने हुए है) के भू-उपयोग को पुनः परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 11 — डा० अम्बेडकर मैदान को विभिन्न संस्थाओं को प्रयोग हेतु देने, इसके लिये शुल्क निर्धारण तथा इसके रख-रखाव के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बड़े व छोटे आयोजनों हेतु क्षेत्रफल का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया जाये।

विषय संख्या : 12 कपूरथला,अलीगंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स के प्लाट नं0 1,2, एवं 7 पर निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग एवं विधि विभाग का मॅतव्य प्रस्ताव पर प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 13 प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल0विप्रा0 को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 14 ऋतनन्द बालवेद एजूकेशन फाउन्डेशन को भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15 डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यदि स्वास्थ विभाग से निर्गत हास्पिटल के मानको की पूर्ति करते हों।~~तो अनुमोदन प्रदान किया जाता है।~~

विषय संख्या : 16 अवध अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैट्स के मूल्य में 50 प्रतिशत पर कब्जा देने तथा 50 प्रतिशत को किश्तो में लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार व्यापक प्रचार प्रसार कराके इस सम्पत्ति को विक्रय का प्रयास किया जाये। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत आवन्टन के पश्चात जमा करना होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष के अन्दर 25-25 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगी।

विषय संख्या : 17 ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में आवन्टित भूखण्डों में ब्याज माफ़ी से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत गणना करा कर प्रत्येक प्रकरण को गुण-दोष के आधार पर परीक्षित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण व्दारा वर्तमान में ली जा रही ब्याज दर को वर्तमान बैंकों में प्रचलित ब्याज दरों के सापेक्ष एवं प्राधिकरण की वित्तीय स्थित के दृष्टिगत पुनरीक्षित करने पर भी विचार कर लिया जाये।

विषय संख्या : 18 श्रीमती सीमा सिंह को गोमती नगर योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या : बी-5/161 जे, विनीत खण्ड का दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 19 भूखण्ड संख्या : 426 स्थित टी.जी.व्यु.सिविल लाइन्स से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय संख्या : 20 उजरियांव आवासीय योजना भाग-1 व 2 के अन्तर्गत 750 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 21 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3,उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या : 553/9-आ-29 विविध/98(आ.ब.) दिनांक 25 जनवरी, 2003 के क्रम में प्राधिकरण की विकसित एवं प्राधिकरण व्दारा स्वीकृत योजनाओं में एकल आवास के अन्तर्गत यूनिट्स निर्माण की अनुज्ञा का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या : 553/9-आ-29 विविध/98(आ.ब.) दिनांक 25 जनवरी, 2003 के अनुसार कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च 2003 के विषय संख्या : 18 पर पूर्व में लिये गये निर्णय को यथानुसार संशोधित माना जाये।

विषय संख्या : 22 — खसरा संख्या : 376 ग्राम गाजीपुर सईदुन्निशा, परगना,तहसील व जिला लखनऊ की 0-13-18-0 बीघा पर स्थित निर्माण को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समायोजन समिति में विचार करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 23 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पेट्रौल पम्प हेतु भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि पेट्रौल पम्प के लिये भूमि आवन्टन हेतु शासन द्वारा निर्धारित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विषय संख्या : 24 — कि0चियन सहकारी आवास समिति को आवन्टित भूखण्डों हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क की गणना के सम्बन्ध में दिनांक २२.०८.२००२ के शासनादेश का अनुपालन किया जाये। उपाध्यक्ष द्वारा यह भी परीक्षण कर लिया जाये कि समिति को वास्तविक आवन्टन किस तिथि में हुआ। ऐडमिनिस्ट्रेटिव शुल्क की छूट प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि आवेदक/समिति प्रतिकर की धनराशि प्राप्त नही करेगी।

विषय संख्या : 25 — डा. भीमराव अम्बेडकर सेवा संस्थान एवं योगाश्रम सत्संग सोसाइटी को रियायती दर पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त रियायती दर पर भूमि आवन्टित किये जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 26 — भूमि खसरा संख्या : 605/1 विन्हट के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव में कमांक - 1, 2 एवं 3 पर अंकित शर्तो सहित अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु :

विगत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के विषय संख्या : 13 ' बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय से सम्बन्धित प्रस्ताव' एवं विषय संख्या : 14 ' डा० भीमराव अम्बेडकर मैदान का विकास ' के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त व्यय का विवरण औचित्य सहित आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० व्दारा अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लाखा)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक

२२ जनवरी, २००४

में लिये गये निर्णयों की

अनुपालन आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक
२२ जनवरी, २००४
में लिये गये निर्णयों की
अनुपालन आख्या
अवलोकनार्थ संलग्न है।

विषय संख्या	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **6** अक्तूबर, **2003** के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **6** अक्तूबर, **2003** के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **6** अक्तूबर, **2003** में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	नोट किया गया।
3	सी०एस०आई० टान्जिट ह्रास्टल, विपिन खण्ड गोमती नगर के निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदार व्दारा की जा रही क्षतिपूर्ति की मांग के भुगतान के सम्बन्ध में।	परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
4	विपिन खण्ड स्थित प्राधिकरण भवन के ब्लाक बी-2 के प्रस्तावित एक तल के स्थान पर ब्लाब बी-4 पर एक अतिरिक्त तल के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।	नोट किया गया। प्रस्ताव के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

5	गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या : 3/12 से 3/14 के सम्मुख व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरुप भूखण्ड की दर आवासीय लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	अवलोकित प्रस्ताव के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
6	महायोजना 2001-2021 तैयार किये जाने हेतु U D P F I [URBAN DEVELOPMET PLAN FORMU-LATION AND IMPLE-MENTATION] गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	महायोजना 2001-2021 तैयार किये जाने हेतु UDPFI [URBAN DEVELOPMENT PLAN FORMULATION AND IMPLEMENTATION] गाइड लाइन्स को किस सीमा तक अंगीकृत किया जा सकता है, इस बिन्दु पर नियोजन एवं विधिक दृष्टि से परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जो समस्त तथ्यों का विधिवत् परीक्षण कर एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति के अन्य सदस्य निम्नवत् होगें :- १. मुख्य विधि परामर्शी, ल०वि०प्रा०	निर्णयानुसार परीक्षण की कार्यवाही की जा रही ह। प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 10.3.2004 को उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हो चुकी है।

		२. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, ३. मुख्य वास्तुविद, उ०प्र०आवास विकास परिषद, ४. मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० (संयोजक)	
7	सरल शमन योजना - 2002 के अन्तर्गत आवासीय से नर्सिंग होम में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अशमनीय भाग को तोड़ने,पार्किंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड की रजिस्ट्री पार्किंग हेतु आरक्षित करने हेतु पक्ष को पत्र संख्या : 213/एएब-3, दिनांक 17.2.2004 व्दारा सूचित किया गया है। स्थल पर अभी प्रश्नगत भाग को तोड़ा नहीं गया है।
8	वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : 8/158 से 8/160 के सम्मुख स्थित स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
9	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में ताज होटल व प्राधिकरण कार्यालय के मध्य मेसर्स अमृत बाटलर प्रा०लि० को	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मल्टीप्लेक्स की पहुँच मार्ग न्युनतम २४ मीटर में प्रश्नगत भू-भाग पर केवल १८ मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के कारण पहुँच मार्ग में शिथिलता प्रदान करने	निर्णयानुसार शासन को पहुच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान करने हेतु पत्र संख्या : 771/सी. टी.पी., दिनांक 6.2.2004 को प्रेषित किया जा चुका

	होटल हेतु आवन्टित भूखण्ड संख्या : 3 के भू-उपयोग को "होटल" से " मल्टीप्लेक्स " में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया कि आवेदक को स्थल पर नियमानुसार पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं शासन से शिथिलता की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भू-भाग का उपयोग होटल से मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित करने का अनुमोदन समझा जायेगा। यह भी प्रतिबन्ध रहेगा कि नियमानुसार पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।	है। शासन स्तर से निर्णय अपेक्षित है।
10	गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में भूखण्ड संख्या : 3/8 व 3/9 के सम्मुख स्थित 45 मीटर रोड पर 'व्यवसायिक उपयोग' हेतु परिवर्तित भूखण्ड (बैडमिन्टनहाल के पिलर बने हुए हैं) के भू-उपयोग को पुनः परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 11.2.04 के समाचार पत्रों " दैनिक जागरण" तथा " टाइम्स आफ़ इन्डिया में प्रकाशित कराई जा चुकी है। प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर विचारोपरान्त पुनः प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
11	डा० अम्बेडकर मैदान को विभिन्न संस्थाओं को प्रयोग हेतु देने, इसके लिये शुल्क	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बड़े व छोटे आयोजनों हेतु क्षेत्रफल का स्पष्ट	निर्णयानुसार निर्धारित धनराशि जमा कराकर आवन्टन की कार्यवाही की जा रही है।

	इसके लिये शुल्क निर्धारण तथा इसके रख-रखाव के सम्बन्ध में।	आयोजनों हेतु क्षेत्रफल का स्पष्ट रुप से निर्धारण कर दिया जाये।	
12	कपूरथला,अलीगंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स के प्लान न०: 1,2, एवं 7 पर निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग एवं विधि विभाग का मॅतव्य प्रस्ताव पर प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।	सम्बब्धित विभागों से मंतव्य प्राप्त किया जा रहा है।
13	प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बब्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल०विप्रा० को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया।	उपाध्यक्ष व्दारा स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
14	ऋतनन्द बालवेद एजूकेशन फाउन्डेशन को भूमि आवन्टन विषयक।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	नोट किया गया।
15	डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवव्टन विषयक।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि स्वास्थ विभाग से निर्गत हास्पिटल के मानको की पूर्ति करते हों।	नोट किया गया।

16	अवध अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैट्स के मूल्य में 50 प्रतिशत पर कब्जा देने तथा 50 प्रतिशत को किश्तो में लिये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार व्यापक प्रचार प्रसार कराके इस सम्पत्ति को बिकय का प्रयास किया जाये। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि बिकय मूल्य का 50 प्रतिशत आवन्टन के पश्चात जमा करना होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष के अन्दर 25-25 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगी।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
17	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में आवन्टित भूखण्डों में ब्याज माफ़ी से सम्बन्धित।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत गणना करा कर प्रत्येक प्रकरण को गुंण-दोष के आधार पर परीक्षित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण व्दारा वर्तमान में ली जा रही ब्याज दर को वर्तमान बैंकों में प्रचलित ब्याज दरों के सापेक्ष एवं प्राधिकरण की वित्तीय स्थित के दृष्टिगत पुनरीक्षित करने पर भी विचार कर लिया जाये।	निर्णयानुसार परीक्षण एवं अन्य अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
18	श्रीमती सीमा सिंह को गोमती नगर योजना में	प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।	नोट किया गया।

	आवन्टित भूखण्ड संख्या : बी-5/161 जे, विनीत खण्ड का दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।		
19	भूखण्ड संख्या : 426 स्थित टी.जी.न्यु.सिविल लाइन्स से सम्बन्धित।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाये।	निर्णयानुसार मार्गदर्शन हेतु शासन को प्रकरण सन्दर्भित किया गया।
20	उजरियांव आवासीय योजना भाग-1 व 2 के अन्तर्गत 750 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया तथा अपर जिलाधिकारी - भूमि अध्याप्ति की मांग पर अग्रिम प्रतिकर रु.10,81,49,468/- की धनराशि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है।
21	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3,उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या : 553/9-आ-29 विविध/98(अ.ब.) दिनांक 25 जनवरी, 2003 के कम में प्राधिकरण की विकसित एवं प्राधिकरण व्दारा स्वीकृत योजनाओं में एकल आवास के	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या : 553/9-आ-29 विविध/98(अ.ब.) दिनांक 25 जनवरी, 2003 के अनुसार कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च 2003 के विषय संख्या : 18 पर पूर्व में लिये गये निर्णय को यथानुसार संशोधित माना जाये।	अनुपालन हेतु समस्त सम्बन्धित को निर्णय सूचित कर दिया गया है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

	अन्तर्गत यूनिट्स निर्माण की अनुज्ञा का प्रस्ताव।		
22	खसरा संख्या : 376 ग्राम गाजीपुर सईदुननिशा, परगना,तहसील व जिला लखनऊ की 0-13-18-0 बीघा पर स्थित निर्माण को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समायोजन समिति में विचार करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।	निर्णयानुसार समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तत किया जा रहा ह।
23	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पेट्रौल पम्प हेतु भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि पेट्रौल पम्प के लिये भूमि आवन्टन हेतु शासन व्दारा निर्धारित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
24	किश्चियन सहकारी आवास समिति को आवन्टित भूखण्डों हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क की गणना के सम्बन्ध में दिनांक २२.१०.२००२ के शासनादेश का अनुपालन किया जाये। उपाध्यक्ष व्दारा यह भी परीक्षण कर लिया जाये कि समिति को वास्तविक आवन्टन किस तिथि में हुआ। ऐडमिनिस्ट्रेटिव शुल्क की	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

		छूट प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि आवेदक/समिति प्रतिकर की धनराशि प्राप्त नही करेगी।	
25	डा. भीमराव अम्बेडकर सेवा संस्थान एवं योगोदा सत्संग सोसाइटी को रियायती दर पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त रियायती दर पर भूमि आवन्टित किये जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	नोट किया गया।
26	भूमि खसरा संख्या : 605/1 चिन्हट के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव में कमांक - 1, 2 एवं 3 पर अंकित शर्तो सहित अनुमोदन प्रदान किया गया।	निर्णयानुसार समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।
अन्य बिन्दु		विगत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के विषय संख्या : 13 ' बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय से सम्बन्धित प्रस्ताव' एवं विषय संख्या : 14 ' डा० भीमराव अम्बेडकर मैदान का विकास ' के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त व्यय का विवरण औचित्य सहित आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये।	निर्णयानुसार आगामी बैठक मे वान्छित विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय संख्या : **03**

पृष्ठ संख्या : **18**

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण का
मूल आय–व्ययक **2004-2005**

लखनऊ विकास प्राधिकरण का

मूल आय–व्ययक **2004-2005**

अलग से अवलोकनार्थ संलग्न है।

परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव पुष्टिकरण हेतु

विषय संख्या : 04 **पृष्ठ संख्या : 19**

इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान् की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में आरक्षित की गई 25.00 एकड़ भूमि के भू-उपयोग 'वाणिज्यिक' को 'सामुदायिक सुविधाओं' में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में विचार।

इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान् हेतु गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में अम्बेडकर उद्यान से संलग्न 25.00 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। उक्त भूमि पर डा0 भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुस्तकालय एवं संग्रहालय के निर्माण के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.3.2003 को यह आदेश जारी किये गये हैं कि इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान् की पुरानी परियोजना के मूल स्वरूप को बनाये रखने हेतु गोमती नगर, लखनऊ में अन्यत्र 25.00 एकड़ भूमि आरक्षित/चिन्हित की जाएगी और इसके निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समय-सारिणी तैयार की जाएगी तथा राज्य सरकार फण्ड के लिए गम्भीर प्रयास करेगी तथा यथाआवश्यक केन्द्रीय सहायक प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर योजना में एक ही स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं भू-उपयोग की 25.00 एकड़ भूमि उपलब्ध न होने के कारण इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान् हेतु गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में वाणिज्यिक उपयोग की 25.00 एकड़ भूमि इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान् हेतु आरक्षित की गई है, जिसकी लागत लगभग रूपये 50.60 करोड़ है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.2.2004 को बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवृत्त संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। इस बैठक में प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग को वाणिज्यिक से सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भूमि को विभूति खण्ड के तलपट मानचित्र में अंकित किया गया है। (संलग्नक-2)

उपर्युक्त क्रम में विभूति खण्ड की 25.00 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को वाणिज्यिक से सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

VC

परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।

इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने के संबंध में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनॉक 26.02.04 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सर्वप्रथम इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान के संबंध में मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्चे, लखनऊ के आदेश दिनॉक 10.04.03 को पारित निर्णय एवं इस संबंध में आदेशों का अनुपालन न हो पाने के कारण मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ में दायर अवमानना याचिका की नोटिस पर विचार किया गया।

मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ के आदेश दिनॉक 10.04.03 में यह आदेश पारित किये गये हैं कि इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान की पुरानी परियोजना के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गोमती नगर, लखनऊ में 25 एकड़ भूमि आरक्षित/चिन्हित की जायेगी और इसके निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समय–सारिणी तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार फण्ड के लिए गम्भीर प्रयास करेगी और यथावश्यक केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

2– बैठक में इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान के लिए आरक्षित की जाने वाली 25 एकड़ भूमि को अधिलम्ब चिन्हित कर शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया जिसके संबंध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नगर के विपिन खण्ड में तत्संबंधी स्थल पर वाणिज्यिक भूमि की ही उपलब्धता है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की उक्त सूचना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि चूँकि 25 एकड़ वाणिज्यिक भूमि की लागत लगभग रू. 50.60 करोड़ हैं, जो अत्यधिक हैं, इसलिए सामुदायिक सेवाओं के भू–उपयोग की भूमि अन्यत्र उपलब्ध न होने की दशा में प्रस्तावित भूमि के वाणिज्यिक भू–उपयोग का सामुदायिक भू–उपयोग में परिवर्तित कर भूमि की उपलब्धता की कार्यवाही की जाय तथा इस हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाय। इस संबंध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार भू–उपयोग परिवर्तन के पश्चात् प्रश्नगत भूमि की लागत सामुदायिक सेवाओं की दर के आधार पर आंकी हो जायेगी। सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्राधिकरण समयबद्ध रूप से कार्यवाही करे और यदि आवश्यक हो तो उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड में रखकर पारित भी करा लिया जाय। इस पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए यह अनुरोध किया गया कि तत्संबंधी 25 एकड़ भूमि के लिए अनुमानित रू. 25 करोड़ की धनराशि को प्राधिकरण के ऋणों के सापेक्ष समायोजित करने पर शासन द्वारा विचार कर लिया जाय।

3— बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान की स्थापना से संबंधित परियोजना का डी.पी.आर. पुनः परीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4— बैठक में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम द्वारा समय–सारिणी तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। इस कम में उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियो द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप में कराया जायेगा जिसमें लगभग 2 वर्ष के समय लगने की सम्भावना है। तत्कम में ही सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम द्वारा इसका एक पावर प्रजेन्टेशन तैयार कराया जाय ताकि यथा आवश्यकतानुरूप उसे डिस्प्ले किया जा सके, साथ ही परियोजना हेतु आरक्षित/चिन्हित की गयी 25 एकड़ भूमि की लागत एवं योजना के निर्माण पर आने वाली लागत के परिप्रेक्ष्य में माह जून, 2004 तक की अनुमानित व्यय की धनराशि से भी शासन को अवगत कराते हुए प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि इस हेतु आवश्यक धनराशि की बजट व्यवस्था करायी जा सके।

बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद समाप्त की गयी।

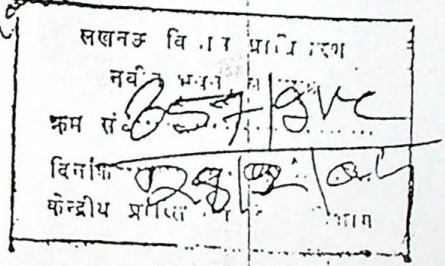

जे.एस. मिश्र
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या– 1069 /9–आ–1–2004
लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कियान्वित करने हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(अमिताभ त्रिपाठी)
अनुसचिव

इन्दिरागॉधी प्रतिष्ठान की स्थापना के संबंध में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर पर दिनॉक 26.02.04 को सम्पन्न बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।

क.	अधिकारी का नाम, पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री मनोज सिंह, उपाध्यक्ष	लखनऊ विकास प्राधिकरण
2	श्री जितेन्द्र सिंह, महाप्रबन्धक (मध्यऑचल)	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम
3	श्री एस.बी. मिश्र, अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ विकास प्राधिकरण
4	श्री आर.के. गोयल, परियोजना प्रबन्धक	ई–21, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम
5	श्री जे.एन. सिंह, वास्तुविद	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम।

PART LAYOUT PLAN OF
VIBHUTI KHAND.

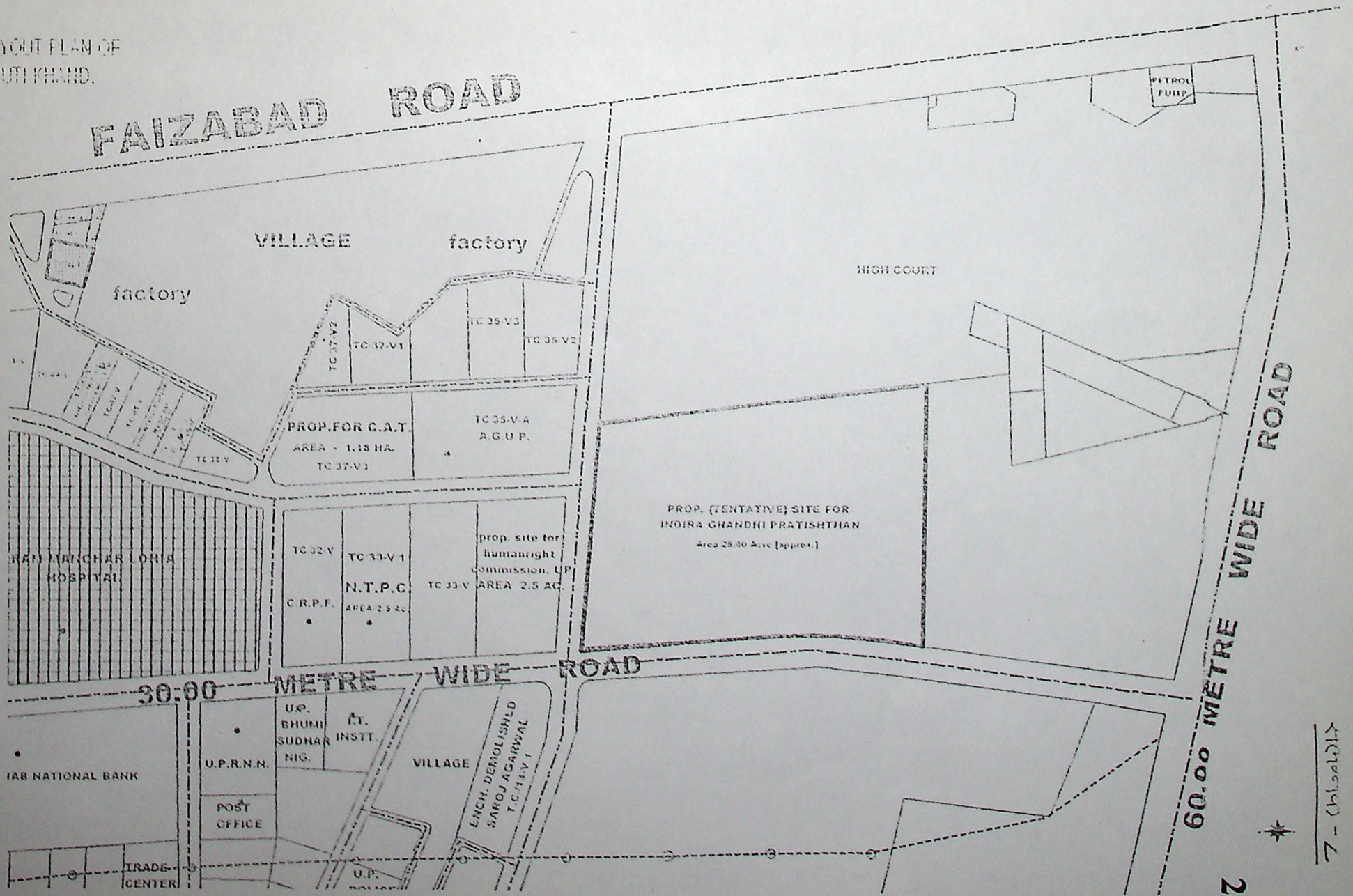

विषय संख्या : 05 **पृष्ठ संख्या : 25**

विषयः– अलीगंज आवासीय योजना के सेक्टर क्यु में श्रीमती शफातन को आवंटित भवन संख्या ई0डी0–258/क्यु की गणना में लगाये गये दण्ड ब्याज को मानवीय आधार पर पूर्ण दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावः–

अलीगंज आवासीय योजना स्थित श्रीमती शफातन को आवंटित भवन संख्या ई0डी0–258/क्यु के पक्ष में अनुरोध उपरान्त अन्तिम गणना करायी गयी है । अन्तिम गणना उपरान्त अवशेष धनराशि रुपया 67,165=64 पैसे दिनांक 15.1.03 तक जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें दण्ड ब्याज के रूप में रुपया 50,621=63 पैसे सम्मिलित है । दण्ड ब्याज की धनराशि में सचिव महोदया के आदेश दिनांक 15.12.03 के द्वारा 50प्रतिशत दण्ड ब्याज रुपया 25,000=00 माफ किया जा चुका है ।परन्तु उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार श्रीमती शफातन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए,श्रीमती शफातन के पति की मृत्यु हो गयी है ।उसके द्वारा चौका–बर्तन एवं मजदूरी करके जीवन–निर्वाह किया जा रहा है ।ऐसी स्थिति में मानवीय आधार पर पूर्ण दण्ड ब्याज रुपया 50,621=63पैसा – 25,000=00 अवशेष दण्ड ब्याज रुपया 25,621=63पैसा माफ किये जाने हेतु बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

17/03/04
Sd.

19/3/04
(स० नं० अधिकारी)

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 15 वैयक्तिक सहायकों के पदों को वेतनमान रूपया-4000-6000 से 4500-7000 में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव: उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रियित सेवा पंचम संशोधन नियमावली 1997 के गजट संख्या-1272/9-आ-5-97-1डीए/82 दिनांक 28.3.97 द्वारा आशुलिपिकों का पद समाप्त करते हुए वैयक्तिक सहायक के पद में समाहित करा दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आशुलिपिक के पद वेतनमान रूपया-1200-2040 (संशोधित वेतनमान रूपया-4500-7000) में सृजित है इसके पश्चात शासन ने अपने आदेश संख्या-1078/9-आ-5-9-24डीए/87 दिनांक 1.3.96 द्वारा उक्त वेतनमान रूपया 1200-2040 में सृजित आशुलिपिक के पदों में छः पदों को समाप्त करते हुए वैयक्तिक सहायक के वेतनमान रूपया 1400-2300 (संशोधित वेतनमान रू0-4500-7000) में उच्चीकृत कर दिया गया तथा पुनः शासनादेश संख्या-1079/9-आ-5-97-1डीए/82 दिनांक 1.3.96 द्वारा उन्हीं पदों पर कार्यरत 8 आशुलिपिकों सर्वश्री श्रीमती बीना कश्यप, पपिन्दर मलिक, मो0इकबाल सिददीकी, राम मंजूर दुबे, त्रिवेणी वर्मा,गंगाराम पाल, मेहदी रजा,अशोक पाल सिंह को पदस्थ कर दिया गया।

उक्त 8 पदों के उच्चीकरण के पश्चात प्राधिकरण में निम्न 15 वैयक्तिक सहा

1. श्रीमती कमलेश शर्मा,वैयक्ति सहायक	2. श्री रामफेर वैयक्तिक सहायक
3. श्री बंसत लाल वैयक्तिक सहायक	4. श्री रमेश महाजन वैयक्तिक सहायक
5. श्री ध्रुव कुमार पाण्डेय वै0 सहायक	6. श्री राम कुमार वर्मा वै0 सहायक
7. श्री कृष्ण कुमार वैयक्तिक सहायक	8. श्री तारादत्त पपने वैयक्तिक सहायक
9. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह वै0 सहायक	10. श्री उमा नाथ सिंह वै0 सहायक
11. श्रीमती सविनम लता श्रीवास्तव वै0स0	12. श्रीमती कांती वैयक्तिक सहायक
13. श्री जग प्रसाद गुप्ता वै0 सहायक	14. श्री अनिल कुमार निगम वै0सहायक
15. श्री अनिल कुमार वर्मा वै0 सहायक	

जो अभी भी वेतनमान रू0-1200-2040 में कार्यरत है, का वेतनमान उच्चीकृत किया

....2

(आर० पी० सिंह)
सहायक सचिव (अधिष्ठान)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(अनिल कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

जाना है। उक्त सभी वैयक्तिक सहायक स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत हैं। **इन 15 पदों को वेतनमान रूपया-4500-7000 में उचचीकृत किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिससे शासन सिद्वांत: सहमत है परन्तु शासन ने अपने आदेश संख्या-720/9-आ-5-04-24डीए/87 दिनांक 28.4.004 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि उक्त उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड में पारित कराकर शासन को प्रेषित किया जाये।**

जहां तक इन पदों के उच्चीकृत होने के पश्चात व्ययभार बढने का प्रश्न है, अवगत कराना है कि इन वैयक्तिक सहायकों की सेवायें 15 से 18 वर्ष पुरानी हो गयी हैं और यह अपने वेतनमान के उच्चतम स्तर पर कार्यरत हैं। अत: मात्र आंशिक व्ययभार ही बढेगा जिसे प्राधिकरण वहन करने में सक्षम है। दूसरी ओर चूंकि वैयक्तिक सहायक के आठ पदों को उच्चीकरण कर दिया गया है इसलिये समान कार्य के लिये समान वेतन के आधार पर शेष पदों के उच्चीकरण का औचित्य भी बनता है। इसमें नये पदों का सृजन का प्रश्न निहित नहीं है।

अत: शासन की अपेक्षानुसार उच्चीकरण से शेष बचे वेतनमान रू0-4000-6000 के 15 वैयक्तिक सहायक के पदों को वेतनमान रूपया-4500-7000 में उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

(आर. ... सिंह)
सहायक ... प्रतिष्ठान)

25.5.04

(डॉ. भूषण भारती)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण

संलग्नक

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, लखनऊ
क्रम सं. 193/9 ...
दि. 13/5/04
विभाग

अर्धशा0पत्रांक-720 /9-आ-5-04-24डीए/87

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5
लखनऊ :: दिनांक 28 अप्रैल, 2004

प्रिय महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 15 वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान उच्चीकृत किये जाने विषयक अपने अर्धशा0पत्रांक-284/उपा0सी0/04, दिनांक 01 मार्च, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि सम्बन्धित प्रस्ताव को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पारित करवाकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

सचिव

05/2104
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

भवदीय

। रामवृक्ष प्रसाद ।

श्री मनोज सिंह
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

कार्यालय उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

29

संख्याः /

दिनांकः मार्च 1, 1996

:: आदेश ::

शासनादेश संख्याः 1078/9-आ-5-96-24 डीए/87, दिनांक 1 मार्च, 1996 द्वारा आशुलिपिक के छः पदों को वैयक्तिक सहायक के पदों में उच्चीकृत किये जाने तथा शासनादेश संख्याः 1079/9-आ-5-96-24 डीए/87, दिनांक 1 मार्च, 1996 द्वारा वैयक्तिक सहायक के रिक्त पद पर, कुल सात पदों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश संख्याः 831/सा०प्र०, दिनांक 4.11.86 द्वारा प्रकाशित ज्येष्ठता सूची के क्रमांक -3 से क्रमांक 9 पर अंकित आशुलिपिकों को तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक सहायक के पद पर वेतनमान रू0 1400-40-1800 द०रो०-50-2300 में पदस्थापित कर दिया गया है। इनके नाम निम्नवत् हैंः-

1. श्रीमती पपिन्दर मलिक
2. श्री मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी
3. श्री राम अगोर दुबे
4. श्री त्रिवेणी वर्मा
5. श्री गंगाराम पाल
6. श्री मेहदी रजा
7. श्री अशोक पाल सिंह

(गंगादीन यादव)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः
1. सचिव, ल०वि०प्रा०
2. अपर सचिव, ल०वि०प्रा०
3. मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०
4. संयुक्त सचिव-एस
5. सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुपालनार्थ,

(गंगादीन यादव)
उपाध्यक्ष

(आर०एन० मिश्र)
सचिव

संख्या-1078/9-आ-5-96-245दी०ए/87

संलग्नक

30

प्रेषक,

राम वृध प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 13 फरवरी, 1996

विषय:-लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृत आशुलिपिक के 06 पदों को वैयक्तिक सहायक के पदों में उच्चीकृत किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-112/व०प्र०/कैम्प/95, दिनांक 3-6-95 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सहमति देते हुये लखनऊ विकास प्राधिकरण में वेतनमान रू० 1200-30-1560-ई०बी०-40-2040 में स्वीकृत आशुलिपिक के 06 (छः) पदों को वेतनमान रू० 1400-40-1800-ई०बी०-50-2300 के वैयक्तिक सहायक के पदों में कार्यहित में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पद के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दर पर महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3- उक्त पदों पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा ।

4- उक्त उच्चीकरण के फलस्वरूप आशुलिपिक के स्वीकृत 06 पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

भवदीय,

राम वृध प्रसाद ।
संयुक्त सचिव ।

संख्या-1078(1)/9-आ-5-96-245दी०ए/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निरीक्षण, उ०प्र०, इलाहाबाद
2. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राम वृध प्रसाद ।
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5
संख्या-1079/9आ-5-96-24डीए/87
लखनऊ:: दिनांक:: \ मार्च, 1996

सलग्नक

31

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-1078/9आ-5-96-24डीए/87, दिनांक 01 मार्च, 1996 द्वारा वेतनमान रू0 1400-40-1800-द0रो0-2300 में स्वीकृत/अस्वीकृत वैयक्तिक सहायक के छः पदों तथा श्री नरेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन आशुलिपि के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1449/9आ-5-95-156ई/91, दिनांक 01-6-95 द्वारा अनुसूचित पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक के रिक्त एक पद अर्थात् कुल 07 (सात) पदों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश संख्या-831/सा0प्र0 दिनांक 4-11-06 द्वारा प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-03 से क्रमांक 09 पर उल्लिखित आशुलिपिकों को तत्काल प्रभाव से नितान्त अस्थाई रूप से पदस्थापित किया जाता है।

अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-1079/11/9आ-5-96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित::-

(1) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि उक्त वैयक्तिक सहायक पदों पर पदस्थापित होने वाले आशुलिपिकों की उपयुक्तता अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें।

(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम बुध प्रसाद।
संयुक्त सचिव।

कार्यालय सामान्य प्रशासन
विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

संख्या: 1195/VI/सा0प्रशासन/97-98 दिनांक: 25 मार्च, 1998

32

आदेश

आवास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, की अधिसूचना सं0-1272/9-आ-5-97-1डीए/82 दिनांक 20 मार्च, 1997 द्वारा "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1997 में प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में "आशुलिपिक" पद नाम को "वैयक्तिक सहायक" पद नाम में समाहित करते हुए आशुलिपिक पद नाम समाप्त कर दिया गया है।

अतः उक्त संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 25 मार्च, 1998 के अनुक्रम में एतद्द्वारा प्राधिकरण में वेतनमान रु0-1200-2040 में कार्यरत निम्नलिखित आशुलिपकों का पद नाम तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक सहायक पदनाम में परिवर्तित किया जाता है:-

1. श्रीमती कमलेश शर्मा
2. श्री रामफेर
3. श्री वसंत लाल
4. श्री रमेश महाजन
5. श्री ध्रुव कुमार पाण्डेय
6. श्री राम कुमार वर्मा
7. श्री कृष्ण कुमार
8. श्री तारादत्त पपने
9. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
10. श्री उमानाथ सिंह
11. श्रीमती सविनम लता श्रीवास्तव
12. श्रीमती कान्ती
13. श्री जगप्रसाद गुप्ता
14. श्री अनिल कुमार निगम
15. श्री अनिल कुमार वर्मा

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर0एन0सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव-अधिष्ठान/मुख्य लेखाधिकारी/एक्जीक्यूटिव इंजीनियर
2. अनुभाग अधिकारी-अधिष्ठान को इस निर्देश के साथ कि कृपया संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में एक-एक प्रति रखें।
3. उपरोक्त समस्त कर्मचारीगण
4. गार्ड फाईल।

(आर0एन0सिंह)
सचिव

क्रम-संख्या—108 (क)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 8

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

33

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 मार्च, 1997

चैत्र 7, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–5

संख्या 1272/9 आ-5–97–1 डीए/82

लखनऊ, 28 मार्च, 1997

अधिसूचना

प० आ०–84

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन (अधिनियम, 1974) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-55 और 5-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

"उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1996"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1996 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1985 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के उप नियम (1) के खण्ड (नौ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(नौ) "वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(नौ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम-3 का संशोधन

3—उक्त नियमावली के नियम-3 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ-1

(वर्तमान उपनियम)

3—(1) सेवा के सम्वर्ग में निम्नलिखित श्रेणियों के पद होंगे और उनमें उनके सामने उल्लिखित पद होंगे ।

सेवा	सेवा में सम्मिलित पद	वेतनमान (रुपयों में)
एक– प्रशासनिक	1– अपर सचिव	1780–2300
	2– संयुक्त सचिव	1100–2050
	3– उप सचिव	850–1720
	4– अनु सचिव (जन सम्पर्क)	770–1600
दो– राजस्व	1– सम्पत्ति अधिकारी	690–1420
	2– वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधीक्षक	370–1100
	3– सहायक सम्पत्ति अधीक्षक	485–860
	4– वरिष्ठ कर एवं राजस्व निरीक्षक	400–695
	5– कर एवं राजस्व निरीक्षक	360–620
तीन– अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग)	1– मुख्य अभियन्ता	1780–2300
	2– अधिशासी अभियन्ता	1100–2050
	3– सहायक अभियन्ता	850–1720
	4– अवर अभियन्ता	485–860

स्तम्भ-2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)

(1) सेवा के सम्वर्ग में निम्नलिखित श्रेणियों के पद होंगे और उनमें उनके सामने उल्लिखित पद होंगे ।

सेवा	सेवा में सम्मिलित पद	वेतनमान (रुपयों में)
एक– प्रशासनिक	1– सचिव/अपर सचिव	4500–150–5700
	2– संयुक्त सचिव	3000–100–3500–125–4500
	3– उप सचिव	2200–75–2800–द०रो०–100–4000
	4– अनु सचिव	2000–60–2300–द०रो०–75–3200–100–3500
दो– राजस्व	1– सम्पत्ति अधिकारी	2000–60–2300–द०रो०–75–3200
	2– वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधीक्षक	1400–40–1600–50–2300–द०रो०–60–2600
	3– सहायक सम्पत्ति अधीक्षक	1400–40–1800–द०रो०–50–2300
	4– वरिष्ठ कर एवं राजस्व निरीक्षक	1200–30–1440–द०रो०–30–1800
	5– कर एवं राजस्व निरीक्षक	975–25–1150–द०रो०–30–1660
तीन– अभियंत्रण (क) सिविल	1– मुख्य अभियन्ता	4500–150–5700
	2– अधिक्षण अभियन्ता	3700–125–4700–150–5000
	3– अधिशासी अभियन्ता	3000–100–3500–125–4500
	4– सहायक अभियन्ता	2200–75–2800–द०रो०–100–4000
	5– अवर अभियन्ता	1400–40–1800–द०रो०–50–2300
(ख) विद्युत और यांत्रिक	1– मुख्य अभियन्ता	4500–150–5700
	2– अधिक्षण अभियन्ता	3700–125–4700–150–5000
	3– अधिशासी अभियन्ता	3000–100–3500–125–4500
	4– सहायक अभियन्ता	2200–75–2800–द०रो०–100–4000
	5– अवर अभियन्ता	1400–40–1800–द०रो०–50–2300

स्तम्भ–1 (वर्तमान उपनियम)			स्तम्भ–2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)		
सेवा	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	वेतनमान (रुपयों में)	केन्द्रीयत सेवा	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	वेतनमान (रुपयों में)
चार– नगर नियोजक और वास्तुकला	1– मुख्य नगर नियोजक	1780–2300	~~चार~~–नगर नियोजन और वास्तुकला	1– मुख्य नगर नियोजक	4500–150–5700
	2– नगर नियोजक	1250–2050		2– नगर नियोजक	3000–100–3500–125–4500
	3– सहायक नगर नियोजक	850–1720		3– सहायक नगर नियोजक	2200–75–2800–द०रो०–100–4000
	4– वास्तुविद्/सांख्यिकी सहायक	570–1100		4– वास्तुविद्/सांख्यिकी सहायक	1400–40–1600–50–2300–द०रो०–80–2600
	5– सर्वेक्षण सहायक	458–860		5– सर्वेक्षण सहायक	1400–40–1800–द०रो०–50–2300
	6– संगणक	485–860		6– संगणक	1400–40–1800–द०रो०–50–2300
पाँच– वृक्ष संवर्धन (अरबोरी कल्चर)	1– उद्यान अधीक्षक	485–860	पाँच–वृक्ष संवर्धन	1– उद्यान अधिकारी	3000–100–3500–125–4500
				2– सहायक उद्यान अधिकारी	1640–60–2300–द०रो०–75–2900 इस पद पर भर्ती/नियुक्ति तभी की जायेगी जब उद्यान अधिकारी के पद धारकों के सेवानिवृत्ति अथवा अन्यथा रिक्त होने पर उद्यान अधिकारी के पद समाप्त हो जायेंगे अर्थात् जब तक उद्यान अधिकारी पद पर वर्तमान अधिकारी तैनात हैं तब तक सहायक उद्यान अधिकारी के पद कार्यशील नहीं होंगे।
				3– उद्यान अधीक्षक	1400–40–1800–द०रो०–50–2300
छः– विधि	1– विधि सहायक	630–940	छः– विधि	1– विधि सहायक	1400–40–1800–द०रो०–50–2400
सात–लेखा	1– लागत लेखाकार (कास्ट एकाउण्टेन्ट)	1250–2050	सात–लेखा	1– लागत लेखाकार (कास्ट एकाउण्टेन्ट)	3000–100–3500–125–4500
	2– लेखाधिकारी	850–1720		2– लेखाधिकारी	2200–75–2800–द०रो०–100–4000
	3– सहायक लेखाधिकारी	690–1420		3– सहायक लेखाधिकारी	2000–60–2300–द०रो०–75–3200
	4– मुख्य लेखाकार	610–1225			
	5– लेखाकार	485–860		4– लेखाकार	1400–40–1800–द०रो०–50–2300

स्तम्भ–1 (वर्तमान उपनियम)			स्तम्भ–2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)		
सेवा	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	वेतनमान (रुपयों में)	सेवा	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	वेतनमान (रुपयों में)
आठ–लिपिक वर्गीय (एक)	1– कार्यालय अधीक्षक	530–940	आठ–लिपिक वर्गीय	1– कार्यालय अधीक्षक	1400–40–1800–द०रो०–50–2400
(दो)	2– निजी सचिव	530–940		2– एक : निजी सचिव	1400–40–1800–द०रो०–50–2400
	3– वैयक्तिक सहायक	485–860		दो : वैयक्तिक सहायक	1400–40–1800–द०रो०–50–2300
		420–735			1200–30–1560–द०रो०–40–2040
		400–695			1200–30–1440–द०रो०–30–1800

टिप्पणी–निम्नांकित पदों के अन्तर्गत जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, उसके सामने उल्लिखित पद होगा/होंगे और उसी संवर्ग या समकक्ष संवर्ग में समस्त वेतनमान वाले पद भी होंगे।

पद	सम्मिलित पद
1. उप सचिव	प्रबन्धक, सूरसदन (आगरा)/सहायक नगर अधिकारी
2. अनुसचिव (जनसम्पर्क)	जन सम्पर्क अधिकारी
3. वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधिकारी	कर अधीक्षक
4. सहायक सम्पत्ति अधीक्षक	केयरटेकर/सम्पत्ति अधिकारी/सहायक कर अधीक्षक/ अधीक्षक (वेतनमान 485–860 रु०)
5. वरिष्ठ कर एवं राजस्व निरीक्षक	माल अधीक्षक/मुख्य भवन निरीक्षक
6. कर एवं राजस्व निरीक्षक	माल निरीक्षक/भवन निरीक्षक
7. मुख्य अभियन्ता	मुख्य नगर अभियन्ता
8. मुख्य नगर नियोजक	वास्तुविद् नियोजक
9. सहायक नगर नियोजक	वास्तुविद्/सहायक वास्तुविद्/भू-दृश्य (850–1720) वास्तुविद्/वास्तुविद् नियोजक/शोध (लैण्ड स्केप वास्तुविद्) अधिकारी
10. कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय अधीक्षक (झाइंग अनुभाग)
11. सर्वेक्षण सहायक	भौतिक सर्वेक्षण सहायक/सर्वेक्षक (485–860 रु०)
12. निजी सचिव	उपाध्याय के वैयक्तिक सहायक
13. वैयक्तिक सहायक	1. वैयक्तिक सहायक (नियोजन विभाग) आशुलेखक

कु0 रेखा गुप्ता
पी.सी.एस.
सचिव

संलग्नक

221425 (का.)
301097 (नि.)

37

लखनऊ विकास प्राधिकरण
6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ–226 001

दिनांक
अ0शा0प0सं0–वी-1513/सचिव, वि0प्र0

दिनांक : 06 दिसम्बर, 2003

प्रिय महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 15 वैयक्तिक सहायकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के संबंध में अपने अ0शा0पत्र संख्या 2427/9–आ–5–03–24 डीए/87 दिनांक 2.12.2003 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कुल 15 वैयक्तिक सहायक वर्तमान में रू0– 4000–6000 के वेतनमान में मूल वेतन रूपया–4500/– से अधिक पर कार्यरत हैं। अतः इन वैयक्तिक सहायकों को रूपया– 4500–7000 का वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने में प्राधिकरण पर व्यय भार नगण्य ही होगा। यदि कोई व्यय भार आंशिक रूप से आता है तो प्राधिकरण उसे वहन करने में सक्षम है।

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)

श्री अजय कुमार सिंह
अनुसचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

अजय कुमार सिंह
अनु सचिव।

सलग्नक
शीघ्र आवश्यकता

38

अर्द्धशासकीय सं0-2427/9-आ-5-03-24डी ए/8

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 02 दिसम्बर, 03

प्रिय महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 15 वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने विषयक मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित श्री अवधेश कुमार सिंह, महामंत्री, लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 22-10-2003 की प्रतिलिपि संलग्न का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि 15 वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान रूपये 4500-7000 में पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप जो व्यय भार प्राधिकरण पर बढ़ेगा, उक्त की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)

सुश्री रेखा गुप्ता,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सीतापुर रोड योजना (जानकीपुरम) के सेक्टर-एफ में सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल-6780.00 वर्गमीटर) के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-एफ में आर0एम0 लाल एजूकेशनल सोसायटी को आवंटित 6780 वर्गमीटर के भूखण्ड के भू-उपयोग को सामुदायिक सुविधाओं से स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6.10.2003 के विषय संख्या-11 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। (प्रस्ताव संलग्नक-1 पर अवस्थित है) उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया:-

"विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर धारा-13 उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्देश दिए गए कि कही अनयत्र स्कूल भूखण्डों हेतु आरक्षित समतुल क्षेत्र को सामुदायिक भू-उपयोग हेतु परिवर्तित किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि इस त्रुटिपूर्ण आवंटन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करके प्राधिकरण को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाए।''

प्राधिकराण की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रश्नगत भूखण्ड के भू-उपयोग को सामुदायिक सुविधाओं से स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु जन-साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से 30 दिन की एक सूचना समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान' व 'पायनियर' के दिनांक 30.11.2003 के संस्करण में प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि में श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा, अध्यक्ष, जानकीपुरम कल्याण समिति तथा जानकीपुरम योजना के विभिन्न आवंटियों की 2 आपत्तियॉ प्राधिकरण में प्राप्त हुई। इन आपत्तियों की सुनवाई उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि, मुख्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा प्रभारी अधिकारी-बल्कसेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्मिलित थे, द्वारा क्रमश: दिनांक 28.1.2004 एवं 10.3.2004 को की गई है। समिति द्वारा की गई सुनवाई का कार्यवृत्त क्रमश: संलग्नक-2 व 3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। सुनवाई के उपरान्त समिति द्वारा आपत्तिकर्ताओं की सहमति के आधार पर यह संस्तुति की गई है कि प्रश्नगत भूमि में से 2000.00 से 2500.00 वर्गमीटर का भूखण्ड सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु आरक्षित करते हुए अवशेष भूमि के भू-उपयोग को परिवर्तित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा इससे पूर्व आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी से यह सहमति प्राप्त कर ली जाए कि उन्हें कम क्षेत्रफल के आवंटन में कोई आपत्ति तो नहीं है।

समिति की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या-2822/प्र0अ0बल्कसेल दिनांक 7.4.2004 के माध्यम से आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी से उपर्युक्त के क्रम में अनापत्ति मॉगी गई। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अनापत्ति दी गई है, जो कि संलग्नक-4 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

प्राधिकराण की गत बैठक में यह भी निर्देश दिये गये थे कि कहीं अनयत्र स्कूल भूखण्डों हेतु आरक्षित समतुल्य क्षेत्र को सामुदायिक भू-उपयोग हेतु परिवर्तित किया जाय तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि इस त्रुटिपूर्ण आवंटन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करके प्राधिकरण को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाए। इस सम्बन्ध में जॉच कराई गई। जॉचोपरान्त यह पाया गया कि वर्ष, 1995 में ही अन्यत्र स्कूल भूखण्डों को परिवर्तित कर व्यवसायिक एवं नर्सिंग होम के उपयोग में विक्रय किया गया है, जिसकी विक्रय दर सुविधाओं की विक्रय दर से अधिक होती है इसलिए प्राधिकरण को इसमें कोई वित्तीय हानि दृष्टिगत नहीं होती है और न ही किसी अन्य फैसल्टीज़ के भूखण्ड को स्कूल भूखण्ड में परिवर्तित करने की आवश्यकता है क्योंकि स्कूल भूखण्ड को पूर्व में ही परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी-बल्कसेल की जॉच आख्या संलग्नक-5 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में सीतापुर रोड योजना (जानकीपुरम) के सेक्टर-एफ के अन्तर्गत सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित 6780 वर्गमीटर में से 4500 वर्गमीटर भूखण्ड के भू-उपयोग को 'स्कूल' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एस0बी0 भटनागर)
एग्जीक्यूटिव सिस्ट्म्स

(जी0एस0 गोयल) 13/7/09
मुख्य नगर नियोजक

परिशिष्ट : 1

विषय संख्या: 11

पृष्ठ संख्या: 45

प्रस्ताव: सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-एफ में आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी को आवंटित 6780.00 वर्गमीटर के भूखण्ड के भू-उपयोग को 'सामुदायिक सुविधाओं' से स्कूल में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-एफ में आर0एम0 लाल एजूकेशनल सोसायटी को 6780 वर्गमीटर का भूखण्ड स्कूल उपयोग हेतु दिनांक 22.6.2001 को आवंटित किया गया था। संस्था द्वारा स्कूल भूखण्ड के मूल्य की समस्त धनराशि प्राधिकरण में जमा कराई जा चुकी है। यह भूखण्ड पूर्व में बाल भारती एजूकेशनल सोसायटी को आवंटित था परन्तु उनके द्वारा समय से किश्तों के भुगतान न किए जाने के फलस्वरूप इसे निरस्त कर कालान्तर में आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी को आवंटित किया गया। बाल भारती एजूकेशनल सोसायटी को पूर्व में भूखण्ड सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना में आवंटित किया गया था परन्तु वह भूखण्ड अत्यन्त गढ्ढे में होने के कारण सेक्टर-एफ में प्रश्नगत स्थल पर समायोजित किया गया। सेक्टर-एफ के अनुमोदित ले-आऊट प्लान में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कम्युनिटी फैसल्टीज़ (सामुदायिक सुविधाएँ) अंकित होने के कारण तत्कालीन् कास्ट एकाउण्टेण्ट एवं इकोनामिक प्लानर ने मुख्य नगर नियोजक से कार्यालय पत्र संख्या 1325/प्रापर्टी दिनांक 31.1.95 द्वारा सेक्टर-एफ की सामुदायिक सुविधाओं को स्कूल में परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया था। ले-आऊट में भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण में निहित है तथा इस कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत जन-साधारण से आपत्ति एवं सुझाव भी आमंत्रित किए जाने आवश्यक हैं।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-एफ में 'सामुदायिक सुविधाओं' हेतु आरक्षित भूखण्ड के भू-उपयोग को 'स्कूल' में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10.7.2003

सीतापुर रोड योजना (जानकीपुरम) के सेक्टर-एफ में सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल-6780 वर्गमी0) के भू-उपयोग को 'स्कूल' में परिवर्तित किए जाने हेतु जन-साधारण से प्राप्त आपत्ति की सुनवाई हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.1.2004 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति: संलग्न सूची के अनुसार

अनुलग्नक-2

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6.10.2003 में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-एफ में आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी को आवंटित 6780 वर्गमीटर के भूखण्ड के भू-उपयोग को सामुदायिक सुविधाओं से 'स्कूल' में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में विषय संख्या-11 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त क्रम में जन-साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किए जाने की दृष्टि से 30 दिन की सूचना दैनिक समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान' व 'पायनियर' के दिनांक 30.11.2003 के संस्करण में प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित अवधि में श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा, अध्यक्ष, जानकीपुरम कल्याण समिति की एक आपत्ति प्राप्त हुई जिसकी सुनवाई समिति द्वारा की गई।

आपत्तिकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जानकीपुरम में कई वर्षों से सामुदायिक केन्द्र की माँग की जा रही है तथा प्रश्नगत स्थल भी सामुदायिक केन्द्र हेतु आरक्षित है अतः इस स्थल को स्कूल उपयोग में परिवर्तित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में विभिन्न आवासीय भवनों में चल रहे गेस्ट हाऊस इत्यादि को बन्द करने हेतु भी प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की जा रही हैं, ऐसी स्थिति में शादी-विवाह हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत स्थल पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रभारी अधिकारी-बल्कसेल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-बी में पूर्व में आवंटित स्कूल की भूमि जिसका कि भू-उपयोग कालान्तर में व्यवसायिक एवं नर्सिंग होम में परिवर्तित कर दी गई थी, के एवज में आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी को आवंटित किया गया है तथा संस्था द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है, अतः यदि अब भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जाता है तो विधिक अड़चनें आएँगी। पूर्व में तत्कालीन् मुख्य नगर नियोजक द्वारा भी फैसल्टीज़ हेतु आरक्षित भूखण्ड में स्कूल को भूमि दिए जाने हेतु अभिमत दिया गया था तथा वर्तमान कार्यवाही भू-विन्यास मानचित्र में तद्नुसार अंकन हेतु की जा रही है।

समिति के सदस्यों तथा जानकीपुरम कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। जानकीपुरम कल्याण समिति के प्रतिनिधियों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई कि यदि प्रश्नगत भूखण्ड में से 2000-2500 वर्गमीटर का क्षेत्रफल सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु आरक्षित कर दिया जाता है तो अवशेष भूमि के उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते स्कूल के निर्माण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग इत्यादि पर्याप्त हो तथा यह सड़क पर न की जाए। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लिखित सहमति भी उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया है।

उपर्युक्त क्रम में समिति द्वारा जानकीपुरम कल्याण समिति की सहमति के आधार पर यह संस्तुति की गई कि प्रश्नगत भूमि में से 2000-2500 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का भूखण्ड सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु आरक्षित करते हुए अवशेष भूमि के भू-उपयोग को स्कूल उपयोग हेतु परिवर्तित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा इससे पूर्व आर0एम0लाल एजूकेशनल सोसायटी से भी उपर्युक्त पर सहमति प्राप्त कर ली जाए कि उन्हें कम क्षेत्रफल के भूखण्ड आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।

(एस0बी0 भटनागर)
प्र0अधि0-बल्कसेल

(एस0बी0 मिश्रा)
मुख्य नगर नियोजक

(प्र0एस0 दलाल)
वरिष्ठ नियोजक एवं प्रतिनिधि
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

सीतापुर रोड योजना (जानकीपुरम) के सेक्टर-एफ मे सामुदायिक-सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल-6780.00वर्गमीटर) के भू-उपयोग को "सुरक्षा" मे परिवर्तित किये जाने हेतु जनसाधारण से प्राप्त आपत्ति की सुनवाई दिनॉक 10.3.2004 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-संलग्न सूची के अनुसार

प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 6.10.2004 मे उपर्युक्त विषयक मे लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व में दिनॉक 28.1.2004 को श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा, अध्यक्ष, जानकीपुरम कल्याण समिति की प्राप्त आपत्ति पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा सुनवाई की गयी थी।

इस सम्बन्ध मे एक अन्य आपत्ति जो जानकीपुरम सेक्टर-एफ के विभिन्न नागरिकों द्वारा कार्यालय मे दिनॉक 15.12.2003 को प्राप्त करायी गयी थी, भी प्राप्त हुई, जो कि भूलवश नियोजन अनुभाग में प्रेषित न कर प्रवर्तन खण्ड-3 मे प्रेषित कर दी गयी थी। उक्त आपत्ति की सुनवाई हेतु दिनॉक 10.3.2004 नियत की गयी तथा इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रसंख्या-798/सीटीपी/2004, दिनॉक 4.3.2004 द्वारा श्री एस.डी.दुबे व अन्य नागरिकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। प्रश्नगत आपत्ति मे आपत्तिकर्ताओं द्वारा वही सब बिन्दु उठाये गये हैं, जो कि पूर्व मे इस सम्बन्ध मे जानकीपुरम कल्याण समिति द्वारा उठाई गयी आपत्ति में हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में जानकीपुरम कल्याण समिति द्वारा अपने पत्रसंख्या-22/जा0क0स0, दिनॉक 10.3.2004 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पूर्व मे आपत्ति की सुनवाई के दौरान लिये गये निर्णय को ही इस प्रकरण मे भी उनकी

———2.

सहमति के रूप मे माना जाय।

उपर्युक्त क्रम में समिति द्वारा पूर्ववत ही जानकीपुरम कल्याण-समिति की सहमति के आधार पर यह संस्तुति की गयी कि प्रश्नगत भूमि मे से 2000.00 से 2500.00 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का भूखण्ड सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु आरक्षित करते हुए अवशेष भूमि के भू-उपयोग को परिवर्तित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा इससे पूर्व आर.एम.लाल एजूकेशनल सोसाइटी से भी यह सहमति प्राप्त कर ली जाय कि उन्हें कम क्षेत्रफल के भूखण्ड-आवंटन मे कोई आपत्ति तो नहीं है।

§नरेन्द्र नारायण सिंह§
प्रतिनिधि-प्रभारी अधिकारी-
बल्कसेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

§जी.एस.गोयल§
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

§एस.बी.दफ्तरदार§
वरिष्ठ नियोजक एवं प्रतिनिधि-
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।

§ मनोज सिंह §
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

Phone No. 2782421

Dr. R.M. LALL EDUCATIONAL SOCIETY

23, Mewa Nursery, Nishatganj, LUCKNOW - 226 006

Dr. (Miss) MADHURIMA LALL

Ph.D. [Business Administration]

D.Litt. [Applied Economics]

FOUNDER CHAIRPERSON

अनुलग्नक: 4

45

Ref.No......

Dated : .....

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी
बल्क सेल (ल० वि० प्रा०) लखनऊ ।

महोदय,

सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि हमारी संस्था डा० आर०एम०लाल एजूकेशनल सोसायटी को एक स्कूल भूखण्ड ६७८० वर्ग मीटर आपकी सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-एफ में आवंटित हुआ था। वर्तमान में उक्त भूखण्ड में से २००० से २५०० वर्ग मी० की कटौती (सामुदायिक सुविधाओं के लिए) प्रस्तावित है ।

उक्त के सम्बन्ध में हमारा अनुरोध है कि विद्यालय के सफल संचालन हेतु यदि न्यूनतम कटौती की जाती है तो यह विद्यालय हित में होगा। अतः हमारी संस्था को पूर्व में आवंटित स्कूल भूखण्ड ६७८० वर्ग मी० में से सामुदायिक सुविधाओं के लिए जो भी कटौती कर अवशेष भूखण्ड दिया जायेगा वह हमें स्वीकार है ।

सम्मान सहित,

भवदीय,

(सी० पी० सिंह)
सचिव
डा० आर०एम० लाल एजूकेशनल सोसायटी

(29)

विवेचन/आदेश

अनुलग्नक:5 **46**

मुख्य नगर नियोजक

कृपया बाल भारती विद्यालय को दिनांक 23.2.1988 में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-बी में 6000 वर्गमीटर का स्कूल भूखण्ड बल्कसेल अनुभाग द्वारा आवंटित किया गया था। वर्ष, 1995 में भूखण्ड पर काफी गहरा गढ्ढा होने के कारण मिट्टी भराई न किए जाने का निर्णय लेते हुए सेक्टर-एफ में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं वाली भूमि उपरोक्त स्कूल को, तत्कालीन् मुख्य नगर नियोजक की सहमति से, परिवर्तित की गई थी तथा भू-विन्यास में यह भूखण्ड स्कूल भूखण्ड हेतु मार्क कर लें तथा सेक्टर-बी में स्थित स्कूल भूखण्ड का अन्यथा उपयोग करने हेतु निर्णय लेने हेतु तत्कालीन् प्रभारी अधिकारी-बल्कसेल द्वारा अपने पत्र संख्या 1325/प्र0अ0ब0से0 दिनांक 31.1.95 द्वारा मुख्य नगर नियोजक से अनुरोध किया गया था। वर्तमान में उपलब्ध कराए गए सेक्टर-बी के भू-विन्यास मानचित्र से स्पष्ट है कि प्राइमरी स्कूल भूखण्ड को हटाते हुए पुर्ननियोजन किया गया था एवं व्यवसायिक भूखण्ड 5530 (6697) वर्गमीटर तथा नर्सिंग होम का प्राविधान वहाँ पर किया गया था। सेक्टर-एफ के भू-विन्यास मानचित्र में फेसल्टीज़ के स्थान पर स्कूल भूखण्ड का अंकन कदाचित इस कारण से नहीं किया गया क्योंकि तत्कालीन् मुख्य नगर नियोजक का अभिमत था कि फैसल्टीज़ में स्कूल को भूमि दी जा सकती है (बाल भारती स्कूल की पत्रावली में पृष्ठ-31 अवलोकनीय है)।

वर्ष, 2001 में सेक्टर-एफ में स्थित उपरोक्त भूखण्ड को आर0एम0लाल संस्था को आवंटित कर दिया गया जो कि बाल भारती विद्यालय को आवंटित स्कूल भूखण्ड के निरस्तीकरण से रिक्त हुआ था। संस्था द्वारा माँगी गई समस्त धनराशि भी एकमुश्त पूर्व में जमा की जा चुकी है और डीड निष्पादन हेतु जब लीज़ प्लान की माँग अभियन्त्रण खण्ड से की गई तो उनके द्वारा ले-आऊट में फैसल्टीज़ अंकन होने के कारण नियोजन विभाग से संशोधन कराने जाने की माँग की गई है, जिसके क्रम में आपका अभिमत दिनांक 3.6.2003 पृष्ठ-23 के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 6 अक्टूबर, 2003 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, "विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर धारा-13, उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्देश दिए गए कि कहीं अन्यत्र स्कूल भूखण्डों हेतु आरक्षित समतुल क्षेत्र को सामुदायिक भू-उपयोग हेतु परिवर्तित किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि इस त्रुटिपूर्ण आवंटन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करके प्राधिकरण को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाए।"

चूँकि वर्ष, 95 में ही स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित करके व्यवसायिक तथा नर्सिंग होम में परिवर्तित कर दिया गया था जिनकी विक्रय दर सुविधाओं की विक्रय दर से 4 गुनी और 3 गुनी होती है इसलिए प्राधिकरण को इसमें कोई वित्तीय हानि दृष्टिगत नहीं होती है और न ही किसी अन्य फैसल्टीज़ के भूखण्ड को स्कूल भूखण्ड में परिवर्तित करने की आवश्यकता है क्योंकि स्कूल भूखण्ड पूर्व में ही परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका था।

अस्तु अनुरोध है कि भू-विन्यास में आवश्यक संशोधन हेतु कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने का कष्ट करें क्योंकि अत्याधिक विल्मब होने की दशा में आवंटी द्वारा ब्याज की माँग भी की जा सकती है जिससे अनावश्यक रूप से प्राधिकरण को हानि होने की सम्भावना है।

6.6.03

AFP(R)
12/11/03

3/11/03.

6-11-03

AFP(A)
इस सम्बन्ध आपसे है।
दो दिन में आख्या प्रेषित
करने का कष्ट करें।
14/11/03

Reckd
14/11/03

उपाध्यक्ष
======

कृपया गत बैठक दिनॉक 6.10.2003 मे सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-एफ मे आर.एम.लाल एजूकेशनल सोसाइटी को आवंटित 6780.00वर्गमीटर के भूखण्ड के भू-उपयोग को 'सामुदायिक सुविधाओं' से 'स्कूल' मे परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विषय संख्या-11 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

"विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर धारा-13, उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्देश दिये गये कि कहीं अन्यत्र स्कूल भूखण्डों हेतु आरक्षित समतुल क्षेत्र को सामुदायिक भू-उपयोग हेतु परिवर्तित किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इस त्रुटिपूर्ण आवंटन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करके प्राधिकरण को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाये।"

उक्त क्रम में कृपया गत पृष्ठ पर प्रभारी अधिकारी (अल्का सेठ) सम्पत्ति को आख्या दिनॉक 7.11.2003 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि स्वत: स्पष्ट है। उक्त आख्या के आधार पर उनके द्वारा यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नही हुई है और न ही किसी अन्य फैसेलिटीज के भूखण्ड को स्कूल भूखण्ड मे परिवर्तित करने की आवश्यकता है क्योंकि स्कूल भूखण्ड को पूर्व मे ही परिवर्तित करने का निर्णय लिया जा चुका है। कृपया उक्त आख्या के क्रम में अग्रिम प्रशासनिक निर्णय लेने का कष्ट करें। प्रभारी अधिकारी-वल्कसेल द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि भू-विन्यास मे आवश्यक संशोधन हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय क्योंकि अत्यधिक विलम्ब होने की दशा में आवंटी द्वारा ब्याज की मॉग की जा सकती है। उक्त क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग - परिवर्तन हेतु जनसाधारण से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु सूचना का आलेख दाहिनी ओर संलग्न है। कृपया उक्त का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसको दो लोकमहत्व के समाचार पत्रों (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी) में प्रकाशन की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें।

S11/CTP/Comp
18-11-2003
फाइल संख्या

18/11/03
(जी.एस.गोयल)
मुख्य नगर नियोजक।

ATP RD
21/11/03
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

रायबरेली रोड स्थित मे० यूनीटेक लिमिटेड द्वारा विकसित साउथ सिटी के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र के ब्लाक "जे" नें आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में परिवर्तन किये जाने के सम्बंध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मे० यूनीटेक लिमिटेड को लाइसेंस पर शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रत्नाकर खण्ड में भूमि विकसित करने हेतु आवंटित की गयी थी। स्वीकृत ले-आउट प्लान के ब्लाक "जे" में ४५.० मीटर चौड़े जोनल मार्ग पर व्यावसायिक भूखण्ड प्रस्तावित था, जिसका क्षेत्रफल लगभग २.३० एकड़ है। मे० यूनीटेक लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया है कि जोनल रोड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को शहीद पथ के विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा दिये जाने के कारण उक्त मार्ग से एप्रोच प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक विकास का औचित्य समाप्त हो जाता है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस भूखण्ड से संलग्न एक अन्य १८ मी० चौड़ा मार्ग उपलब्ध है, किन्तु, चूँकि भूखण्ड डेड एण्ड पर उपलब्ध है तथा आसपास के निवासी भी इस सड़क की ओर फेस करते हुए व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, अतः उक्त भूखण्ड के भाग का १.६१ एकड़ को आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाय। अवशेष ०.३६ एकड़ भूमि पूर्व की भाँति व्यावसायिक प्रयोग में ही लायी जानी प्रस्तावित है।

यह सत्य है कि ४५ मी० चौड़े जोनल मार्ग का विकास शहीद पथ के रूप में होने के कारण इस ओर से मात्र ७.५० मी० चौड़ी सर्विस रोड ही एप्रोच के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसपर व्यावसायिक उपयोग न तो अनुमन्य है और न ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान का कियान्यवन सम्भव है। उक्त के दृष्टिगत स्वीकृत ले-आउट में आरक्षित भू-उपयोग "व्यावसायिक" को उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-१३ के उपबन्धों के अनुसरण में "आवासीय" (ग्रुप हाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने हेतु जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से दिनांक ३०/०३/२००४ को दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि दिनांक ३०/०४/२००४ तक कोई भी आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही हुआ। उल्लेखनीय है कि "व्यावसायिक" भू-उपयोग से "आवासीय" भू-उपयोग में भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का प्राविधान नहीं है, अतः उक्त के दृष्टिगत भू-उपयोग का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Yogesh Jain 28.5.0

वाई० के० जैन
अधिशासी अभियन्ता

गोमती नगर योजना के विशेष खण्ड में आरक्षित 'सामुदायिक सुविधाओं' के भूखण्ड के आंशिक भाग(500.00 वर्ग मीटर) के भू-उपयोग को ''नर्सिंग होम'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

डा0 बलजीत सिंह अरोड़ा को वर्ष 1988 में गोमती नगर योजना के विशेष खण्ड में 500.00 वर्ग मीटर का नर्सिंग होम भूखण्ड संख्या-1/500 आवंटित किया गया था, जिस हेतु उन्होने वर्ष-1990 में वांछित धनराशि जमा कर दी थी। विशेष खण्ड के तलपट मानचित्र में उक्त नम्बर का कोई भूखण्ड अंकित न होने के कारण डा0 अरोड़ा को नर्सिंग होम का कोई भी भूखण्ड उपलब्ध नही कराया जा सका है। विशेष खण्ड-2 में एक भूखण्ड सुविधाओं हेतु आरक्षित किया गया है, इस भूखण्ड का आवंटन भी किसी को नही किया गया है। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड(क्षेत्रफल-4410.00 वर्ग मीटर) में से 500.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड के भू-उपयोग को 'सुविधाओं' से 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

विषय संख्याः- 10 पृष्ठ संख्याः- 50

विषयः-श्रीमती शीला चतुर्वेदी को आवंटित भवन संख्या-एम0आई0जी0-15-ए सेक्टर-सी अलीगंज योजना पर आरोपित ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक भवन संख्या-एम0आई0जी0-15-ए सेक्टर-सी अलीगंज योजना श्री अवधेश प्रसाद चतुर्वेदी उप नगर अधिकारी को आवंटित था ,जिसका दिनांकः-13.05.86 को श्री चतुर्वेदी के पक्ष में अनुबन्ध किया गया था श्री अवधेश प्रसाद चतुर्वेदी की मृत्यु दिनांकः-06.10.96 को डेंगू बुखार से पीड़ित होने के कारण हो गयी है श्री चतुर्वेदी की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त भवन को उनकी पत्नी श्रीमती शीला चतुर्वेदी के पक्ष में संयुक्त सचिव (वी) द्वारा दिनांकः-27.02.97 को नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त भवन के विरूद्ध मांगी गयी धनराशि को प्रार्थिनी द्वारा समय से न जमा करने के कारण भवन पर आरोपित दण्ड ब्याज रूपया-365094=47 का 25 % अर्थात रूपया-91273=61 (उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकः-11.09.99) तथा अवशेष आरोपित दण्ड ब्याज रूपया-324164=30 पैसे का 25% अर्थात रूपया-81041=00 (उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकः-16.07.2002 के अनुपालन में) इस प्रकार कुल रूपया-172314=61 प्राधिकरण द्वारा माफ किया जा चुका है। इसके बावजूद भी बकाया धनराशि जमा नहीं की गयी है,और पुनः श्रीमती शीला चतुर्वेदी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी आर्थिक कठिनाईयों को दर्शाते हुए सम्पूर्ण ब्याज माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। जिस पर माननीय नगर विकास मंत्री एवं श्री मनोज कुमार (अनु सचिव) मुख्यमंत्री, के पत्र संख्याः-206/2004/लो0शि0के3-18(128)/03 दिनांकः-19.02.2004 की छायाप्रति अवलोकनार्थ साथ में संलग्न है,जिसमें प्रश्नगत प्रकरण के निष्तारण के सम्बन्ध में दिनांकः-31.01.2004 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित अधिकारी भी विमल सेठ डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट को अवगत कराया कि प्रकरण में देय ब्याज की गणना हेतु मृतकाश्रितों से राजकीय में लिये जाने वाले ब्याज की गणना वसूली पद्धति का अध्ययन कर गणना कर ली गयी है,सचिव महोदया द्वारा आदेश दिये गये है कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिसकी डियूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे मामलों में ऋण पर देय ब्याज की गणना जिस प्रकार की जाती है उसी प्रकार प्राधिकरण/स्थानीय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी ब्याज की गणना किया जाना उचित होगा अतः श्री चतुर्वेदी के प्रकरण में उसी प्रकार गणना करने पर भी विचार कर लिया जाये।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा गणना कर ली गयी है,जिसके अनुसार रूपया-244712/= श्रीमती चतुर्वेदी से दिनांकः-30.06.2004 जमा कराया जाना है।

अतः प्राधिकरण द्वारा आरोपित उपरोक्त समस्त दण्ड ब्याज को माफ किये जाने तथा जो शासनादेश संख्या–206/2004/लो0शि0–3–18(128)/03 दि0:–19.02.04 के द्वारा की गयी गणनानुसार अवशेष धनराशि रूपया–244712=00 श्रीमती चतुर्वेदी से जमा कराये जाने के निर्णय हेतु पत्रावली प्राधिकरण बोर्ड बैठक में आदेशार्थ प्रस्तुत है

(शीतल पाल सिंह)
सहायक नगर अधिकारी,

(कु0 रेखा गुप्ता)
सचिव,

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में विषय संख्या-13(संलग्नक-1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण को निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्पश्चात उनके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश व प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 27.5.2004 को एक बैठक की गयी। उक्त बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिए अनुमोदित कराया गया है तथा वह भूखण्ड जिसे मानचित्र में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आऊट का भाग नही है। उक्त बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ऐसी स्थिति में ग्रुप हाऊसिंग नही जाना जा सकता है, वरन इस 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिरकण की योजनाओं के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 (कार्यवृत्त-संलग्नक-2) में लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिरकण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2004 में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

उपर्युक्त क्रम में प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन सुविधाओं हेतु एवं जनसुविधाओं हेतु आपेक्षित क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

विषय संख्या : 13 संलग्नक-1 संलग्नक-6

पृष्ठ संख्या : 70

53 -

प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर-बी में तुहिन पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 17.5.2003 में उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या-10 प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अमान्य पाते हुए इसे निरस्त कर दिया गया था। पूर्व बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् प्राधिकरण के निर्णय की प्रति संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। इस सम्बन्ध में श्री देवी दयाल शास्त्री, सदस्य विधान परिषद द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को दिनांक 31.7.2003 को प्रेषित पत्र में प्रसंगगत प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र संलग्नक-2 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। उक्त के क्रम में प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

0-0-0

बोर्ड की बैठक : 22.01.2004

विषय संख्या : 12 कपूरथला,अलीगंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स के प्लान न०: 1,2, एवं 7 पर निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग एवं विधि विभाग का मंतव्य प्रस्ताव पर प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 13 प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल०विप्रा० को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 14 ऋतनन्द बालवेद एजूकेशन फाउन्डेशन को भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15 डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यदि स्वास्थ विभाग से निर्गत हास्पिटल के मानको की पूर्ति करते हों तो अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

विषय संख्या : 16 अवध अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैट्स के मूल्य में 50 प्रतिशत पर कब्जा देने तथा 50 प्रतिशत को किश्तो में लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार व्यापक प्रचार प्रसार कराके इस सम्पत्ति को विक्रय का प्रयास किया जाये। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत आवन्टन के पश्चात जमा करना होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष के अन्दर 25-25 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगी।

प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के मानचित्रों को स्वीकृति/संशोधन प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 30.10.2002 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. श्री दिवाकर त्रिपाठी, — अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।
2. श्री एस. एस. दलाल, — सदस्य,
वरिष्ठ नियोजक एवं प्रतिनिधि
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. श्री जी. एस. गोयल, — सदस्य/संयोजक,
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

बैठक में प्रस्तुत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्र सम्बन्ध में निम्नवत् विचार किया गया:-

1. गोमती नगर योजना के विकल्प खण्ड में प्रस्तावित "सेक्टोरोल शापिंग सेन्टर" के पार्ट तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

विकल्प खण्ड योजना का तलपट मानचित्र पूर्व में समिति द्वारा दिनांक 26.11.2002 को अनुमोदित किया गया था। उक्त तलपट मानचित्र के अनुसार फैजाबाद रोड से लगे एक पार्सल को "सेक्टोरोल शापिंग सेन्टर" के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसके कुछ भाग में छोटी दुकानों हेतु भूखण्डों का निर्धारण किया गया है तथा कुछ भाग व्यावसायिक रूप में दर्शाया गया है, जबकि आगे की ओर की भूमि को पूर्व में अभियन्त्रण खण्ड से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमित के रूप में दर्शाया गया है। उक्त अतिक्रमित भाग में अधीक्षण अभियन्ता-अर्बन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 467.50 वर्गमीटर भूमि मौके पर स्थित है, जो मानचित्र पर अंकित किया जाना होगा। तदनुसार उक्त भूमि को विकल्प खण्ड के मानचित्र में प्रस्तावित "सेक्टोरोल शापिंग सेंटर" में व्यावसायिक भूखण्ड के रूप में अंकित करते हुए पार्ट तलपट मानचित्र तैयार किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त पार्ट तलपट मानचित्र को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सम्मिलित किये जा रहे व्यावसायिक

-पर भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय निर्धारित बाइलाज के अन्तर्गत सेटबैक एवं ग्राउण्ड कवरेज आदि छुड़वाया जाय।

2. गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विनय खण्ड में नर्सिंग होम भूखण्डसंख्या-1/1000 के भू-प्रयोग को नर्सिंग होम से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

शासन के पत्रसंख्या-91वीआईवी/9-आ-3-2001-9एलयूसी, दिनांक 13.2.2001 द्वारा डा. एस.सी. त्रिपाठी के पत्रसंख्या दिनांक 25.1.2001, जो कि भूखण्डसंख्या-1/1000, विनय खण्ड (क्षेत्रफल-844.00 वर्गमीटर) गोमती नगर, लखनऊ के भू-उपयोग "नर्सिंग होम" को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में था, पर आख्या शासन को प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी थी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्रसंख्या-1118/सीटीपी/2001, दिनांक 8.8.2001 के माध्यम से शासन को यह सूचित किया गया है कि चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड नर्सिंग होम हेतु आरक्षित है तथा इसका लोकेशन भी तद्नुसार ही निर्धारित की गयी है, अतः इसे "आवासीय" में परिवर्तित किया जाना उचित नहीं होगा। पुनः शासन के पत्रसंख्या-5101/9-आ-3-2001-9एलयूसी/2001, दिनांक 10 जनवरी, 2002 के माध्यम से शासन द्वारा प्राधिकरण के पत्रसंख्या-1118/सीटीपी/वीसी/2001, दिनांक 8.8.2001 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ महायोजना 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन न होकर लखनऊ-विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अलपट मानचित्र का संशोधन है, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, अतः शासन स्तर पर किसी मार्गदर्शन/निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। उक्त पत्र पर ——— लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गठित उपर्युक्त उपसमिति द्वारा विचार किया गया। गोमतीनगर में स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत 7 प्रकरणों जिसकी सूची संलग्न है, में "आवासीय" उपयोग को "नर्सिंग होम" में परिवर्तित किया गया है, जिसमें से केवल विनय खण्ड के अन्तर्गत ही 518.00 वर्गमीटर तथा कुल 1491.87 वर्गमीटर भूमि नर्सिंग होम में परिवर्तित की गयी है। अतः इसकी एवज में प्रश्नगत भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। वरिष्ठ नियोजक द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि पूर्व में प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्ड का अधिकतम साइज नियत किया गया था, अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय

– कि वर्तमान में भी यह सीमा लागू है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि पूर्व में आवास नीति के अन्तर्गत अधिकतम 2 हे० तक आकार की सीमा थी, परन्तु अब यह सीमा समाप्त हो गयी है तथा वर्तमान में प्राधिकरण की योजनाओं में 200.00 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्ड काटे जा रहे हैं। भूमि प्रयोग परिवर्तन में सहयोग अपेक्षित है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को तथ्यों के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

3. तालापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी योजना में जन सुविधाओं एवं स्कूल के भूखण्ड के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार।

तालापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी के अन्तर्गत स्कूल हेतु 3131.34 वर्गमीटर का भूखण्ड आरक्षित किया गया है, जिसे समाज अनुभाग द्वारा तुरन्त परिचालक स्कूल को आवंटित किया गया है। उक्त सेक्टर में उसके अतिरिक्त जन-सुविधाओं के अन्तर्गत क्रमशः 6331.65 वर्गमीटर तथा 2480.00 वर्गमीटर के भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। तुरन्त परिचालक स्कूल द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उन्हें जनसुविधा हेतु आरक्षित भूखण्ड जिसका कि क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमीटर है, स्कूल हेतु दे दिया जाय तथा सलाट मार्केट में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड को जन-सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उक्त भूखण्ड को इण्टरमीडिएट स्कूल हेतु आवंटित किये जाने का अनुरोध किया।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। समिति के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि तालापुर रोड सेक्टर-बी जिस स्थल पर विकसित हुआ है वह स्थल लखनऊ मास्टरप्लान महायोजना में पार्क एवं क्रीड़ा स्थली के रूप में दर्शाया गया है, जबकि उक्त स्थल पर प्राधिकरण द्वारा काफी पहले से आवासीय योजना को विकसित किया गया था।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

(क) तालापुर रोड, प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी का वह भूखण्ड

(4) 76

-जिसे भूलवश लखनऊ महायोजना में पार्क एवं क्रीडा-स्थल दर्शाया गया है, भू-प्रयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। वर्तमान में नई महायोजना की संरचना का कार्य नगर एवं ग्राम-नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त महायोजना के ड्राफ्ट में प्रश्नगत भूमि के भू-प्रयोग को आवासीय रखने हेतु कार्यवाही की जाय।

(ख) प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-बी में प्रस्तावित "स्कूल" भूखण्ड क्षेत्रफल - 3131.34 वर्गमीटर के भू-प्रयोग को "जन-सुविधाओं" तथा जन-सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमीटर के उपयोग को "स्कूल" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव समस्त तथ्यों के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। स्कूल की केटेगरी नियोजन के मापदण्डों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(जी. एस. गोयल)
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(एस. एस. दलाल)
वरिष्ठ नियोजक एवं प्रतिनिधि
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(दिवाकर त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संलग्नक - 2

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 के विषय संख्या-13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. श्री जी0एस0 गोयल, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

2. श्री एस0एस0 दलाल, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

3. श्री एस0बी0 भटनागर, एग्जीक्यूटिव सिस्टम/प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में लिए गये निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया। आज की बैठक में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में वर्ष 1995 में अनुमोदित प्रश्नगत सेक्टर के तलपट मानचित्र के की-प्लान का अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिये ही अनुमोदित कराया गया है तथा वह भूखण्ड जिसे इस ले-आऊट में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आउट का भाग नहीं है। इस सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में अन्य कोई मानचित्र भी उपलब्ध नही है जिससे यह पुष्टि हो सके कि प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग भू-उपयोग मे नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। अतः मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप-हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ग्रुप हाऊसिंग नही माना जा सकता है, वरन् इसे वर्ष 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जायेगा। उपर्युक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्ध के हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 में लिये गये निर्णय के कम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(एस0बी0 भटनागर)
एग्जीक्यूटिव सिस्टम/
प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल
ल0 वि0 प्रा0।

(एस0एस0 दलाल)
नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उत्तर प्रदेश।

(जी0एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक,
ल0 वि0 प्रा0।

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2004 में विचारणीय विषयों की अनुपूरक कार्य-सूची

कमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित ''अवध हाट'' के निर्माण स्थल के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	1
2.	जानकीपुरम योजना के सेक्टर ''एफ'' में भूखण्ड संख्याःसी-2/179 के सम्मुख तलपट मानचित्र में अंकित प्राइमरी स्कूल की भूमि के उपयोग को पार्क में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	8
3.	महायोजना 2001-2021 तैयार किये जाने हेतु यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	10
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त पेट्रोल पम्प वीरगति को प्राप्त शहीदों की विधवाओं को प्राथमिकता पर सीधे आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	15
5.	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चारबाग-बाराबंकी रेलपथ के 1086। 15-16 कि0मी0 के मध्य निर्मित रेलवे कासिंग को विनीत खण्ड-5 से जोड़ने हेतु लगभग 60 मीटर लम्बी (9.0 मी0 चौड़ी) सडक के निर्माण के लिए स्थल के भू-उपयोग को ''प्राइमरी स्कूल'' से ''सड़क'' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	16

6.	महायोजना अथवा प्राधिकरण के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली प्रकिया में होने वाले व्यय को आवेदक से वसूले जाने के सम्बन्ध में।	25
7	रश्मि खण्ड, शारदा नगर स्थित आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन व्दारा विकसित कालोनी के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं के स्थलों के स्थान परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	26
8	ट्रान्सपोर्ट नगर में आवन्टित भूखण्डों पर लगाये गये दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।	27
9	प्राधिकरण के प्रयोग हेतु दो नये वाहन कय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	29
10	नजूल भूखण्ड संख्या : 34/3 बटलरगंज, गोखाले मार्ग, लखनऊ में साइड सेटबैक की चौड़ाई में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	30
11	स्वर्ण पुष्प शिक्षा समिति को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड-6 में रियती दर पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	31

अनुलग्नक विषय:-1

हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित ''अवध हाट'' के निर्माण स्थल के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार।

हुसैनाबाद रोड पर स्थित नेहरू यूथ सेन्टर के बगल में अवध हाट का निर्माण जिलानगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2001 (संशोधित) के अनुसार 'पार्क एवं क्रीडा स्थल' है तथा यह 'हुसैनाबाद हेरिटेज जोन' के अन्तर्गत आता है। जिलाधिकारी लखनऊ से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उक्त स्थल के भू-उपयोग को 'रिक्रिएश्नल एवं कल्चरल' कार्यो के लिए परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक-6.10.2003 में विषय सं0-27 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव (संलग्नक-1) प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:-

''प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लखनऊ महायोजना 2021 के ड्राफ्ट प्लान में सम्मिलित करते हुए इस पर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिये गये कि पुरातत्व विभाग से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये। प्रश्नगत स्थल का नाम ''अवध हाट पार्क'' रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।''

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव को लखनऊ महायोजना-2021 के संशोधित ड्राफ्ट में सम्मिलित करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को कार्यालय के पत्र सं0-673/सी0टी0पी0/2003 दिनांक 29.10.2003 द्वारा सूचित किया गया। लखनऊ महायोजना-2021 की संरचना का कार्य अभी पूर्ण नही हुआ है तथा शासन द्वारा इस सितम्बर' 2004 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अवध हाट का निर्माण 'इन्टेक' व भारत सरकार के सहयोग से किया जाना है तथा यह प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यासित योजनाओं में है। दिनांक-17.6.2004 को सचिव,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रश्नगत प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त कार्य की महत्ता को देखते हुए स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव को तत्काल शासन को प्रेषित किया जाय। पुरातत्व विभाग द्वारा पत्र सं0-10/177/2003-एम-5998 दिनांक 15.01.2004 के माध्यम से ''अवध हाट'' के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है।

अतः उपर्युक्त क्रम में हुसैनाबाद रोड पर प्रस्तावित अवध हाट से सम्बन्धित भूमि के भू-उपयोग ''पार्क एवं क्रीडा स्थल (हेरिटेज जोन)'' को ''सांस्कृतिक एवं मनोरन्जनात्मक, अवध हाट (हेरिटेज जोन)'' में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। चूँकि प्रश्नगत भू-प्रयोग परिवर्तन महायोजना के भू-उपयोग से सम्बन्धित है ,अतः प्राधिकरण से भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सहमति की दशा में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही शासन स्तर से सम्पादित करायी जायेगी। भू-उपयोग परिवर्तन की दशा में 'पार्क एवं क्रीडा स्थल' की समतुल्य भूमि प्राधिकरण द्वारा अपनी हरदोई रोड योजना में आरक्षित की जायेगी।

संलग्नक -1 3

विषय संख्या : 27 पृष्ठ संख्या : 01

हुसैनाबाद रोड स्थित प्रस्तावित "अवध हाट" के निर्माण स्थल के भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार:

हुसैनाबाद रोड पर स्थित नेहरू युवा सेंटर के बगल में "अवध हाट" का निर्माण जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसका शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। प्रश्नगत स्थल का भू उपयोग लखनऊ महायोजना 2001 (संशोधित) के अनुसार "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" है तथा यह हुसैनाबाद हेरिटेज जोन के अन्तर्गत आता है। स्थल के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं, यथा बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, क्लाक टावर, पिक्चर गैलरी इत्यादि। इन क्षेत्र में विकास/निर्माण से पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनापत्ति प्राप्त की जानी भी आवश्यक होती है। जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने अ0शा0पत्रसं0 212/ई.ई./डूडा/अ.हाट/2003 दिनांक 14.08.03 द्वारा यह अवगत कराया है कि यह भूमि हरित पट्टी के अन्तर्गत आती है, अतः भू उपयोग परिवर्तन के बिना निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। इसके साथ यह भी अवगत कराया गया है कि अवध हाट का निर्माण 'रिक्रीयेशनल एवं [illegible]' कार्यों के लिये किया जाना है, अतः प्रस्तावित स्थल का भू उपयोग परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्नक-1 पर अवस्थित है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत स्थल के भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

नवनीत सहगल
आई.ए.एस.

जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर
लखनऊ

कार्यालय : 0522-2223024
निवास : 0522-2623912
: 0522-2214700
फैक्स : 0522-2224076
दि० 10-8-2002

प्रिय महोदय,

हैदराबाद रोड स्थित प्रस्तावित "अवध हाट" के निर्माण स्थल का भू – उपयोग परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस निर्माण स्थल का मौलिक कब्जा आपके द्वारा दिया गया परन्तु यह भूमि हरित पट्टी के अन्तर्गत आता है भू – उपयोग परिवर्तन के बिना निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः प्रस्तावित निर्माण स्थल का भू – उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। "अवध हाट" निर्माण "Recreational and Cultural" कार्यों के लिए किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त परिस्थितियों में भू –उपयोग परिवर्तन करने का कष्ट करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शिलान्यासित महत्वपूर्ण परियोजना "अवध हाट" का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

भवदीय

(नवनीत सहगल)

सेवा में,
श्रीमती महेश कुमार गुप्ता,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

कार्यालय सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : सी- 657 /सचिव,वि.प्रा. दिनांक: अक्तूबर 15, 2003

विशेष कार्याधिकारी, अपर सचिव, संयुक्त सचिव सी, आई, सी, वित्त नियन्त्रक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य विधि परामर्शी, अधी.अभि. श्री मिश्रा, प्रभारी वल्लभरोड श्री भटनागर, अधि०अभि०-गवना/प्र० क्षेत्र- 3

+ + + + + + + + + + + +

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अक्तूबर, २००३ का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित लिये गये निर्णयों का अनुपालन यथा-शीघ्र सुनिश्चित करायें एवं अनुपालन आख्या माननीय विशेष सचिव कैम्प में व्यवस्थाधिकारी श्री रजा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुपालन के गुरुत्व मुख्य बिन्दु एवं उत्तरदायी अधिकारी का विवरण भी पृष्ठ भाग पर अवलोकनार्थ अंकित किया गया है।

(डा० केवल कृष्ण)
सचिव

संलग्नक: यथावर्णित

प्रतिलिपि: सभासद महोदय को कृपया जानकारी हेतु।

(डा० केवल कृष्ण)
सचिव

विषय संख्या : २३ — कानपुर रोड योजना भाग-४ के अन्तर्गत शारदा नगर योजना के रवि खण्ड के निकट लगभग १५ बीघा भूमि यथास्थिति में जहाँ है जैसे है के आधार पर विकास हेतु लाइसेन्स के आधार पर एल्डिको हाउसिंग एण्ड कान्स्टक्शन लि० के पक्ष में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अपने स्तर से स्थगनादेश को निरस्त कराने का प्रयास करायें तथा जिस समिति द्वारा स्थगनादेश प्राप्त किया गया है उसको बुला कर सीधे वार्ता करें।

विषय संख्या : २४ — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्माण/भवनों का समायोजन।

निर्णय : — प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : २५ — हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत प्राइवेट बिल्डर्स की सहभागिता विषयक प्रस्ताव।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

विषय संख्या : २६ — आवन्टित भवन/भूखण्ड के परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन शुल्क माफ न किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : २७ — हुसेनाबाद रोड स्थित प्रस्तावित " अवध हाट " के निर्माण स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लखनऊ महायोजना २०२१ के ड्राफ्ट प्लान में सम्मिलित करते हुए इसपर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिये गये कि पुरातत्व विभाग से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये। प्रश्नगत स्थल का नाम " अवध हाट पार्क " रखे जाने का भी निर्णय लिया गया। "

अन्य प्रस्ताव : सुभाष मार्ग पर स्थित सुलभ मस्जिद में दुकानों के निर्माण हेतु स्थल के भू-उपयोग को शैक्षिक से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को मास्टर प्लान २०२० के संशोधित ड्राफ्ट में सम्मिलित करते हुए इसपर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित कर लिये जायें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लखेरा)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
लखनऊ।

अनु०

विषय संख्या- 2

पृष्ठ संख्या- 8

जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एफ में भूखण्ड संख्या-सी-2/179 के सम्मुख तलपट मानचित्र में अंकित प्राइमरी स्कूल की भूमि के उपयोग को पार्क में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एफ के तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या-सी-2/179 के सामने पार्क एवं प्राइमरी स्कूल का भूखण्ड दर्शित किया गया है, जबकि स्थल पर उक्त भूखण्ड के कुछ भाग में पानी की टंकी तथा पम्पहाऊस का निर्माण करा दिया गया है तथा शेष भाग में पार्क स्थित है। उक्त भूखण्ड के आस पास के निवासियों द्वारा दिनांक 16.8.2003 को दिये गये प्रार्थना-पत्र (संलग्नक-1) में यह अनुरोध किया गया है कि चूँकि स्थल पर पानी की टंकी एवं पम्प हाऊस का निर्माण करा दिया गया है, अत: तलपट मानचित्र के अनुसार स्थल पर स्कूल के निर्मित हो जाने से पार्क की भूमि समाप्त हो जाएगी तथा आप पास यातायात की समस्या उत्पन्न होगी, अत: उक्त स्थल सें स्कूल की भूमि को हटा दिया जाय।

प्रश्नगत स्कूल की भूमि पूर्व मे सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर को आंवटित की गयी थी, परन्तु स्कूल निर्माण के विरूद्ध क्षेत्रीय निवासियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण सरस्वती विद्या मन्दिर को सेक्टर-आई में स्कूल का भूखण्ड आवंटित कर दिया गया है। स्कूल भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

चूँकि स्थल पर पम्पहाऊस एवं ओवरहैड टैंक निर्मित है तथा अवशेष भूमि पर प्राधिकरण द्वारा पार्क का विकास किया जा चुका है तथा स्कूल के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई भूमि भी रिक्त नही है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत स्थल पर स्कूल निर्मित किये जाने का अब कोई औचित्य नही रह जाता है। अत: उपर्युक्त परिस्थितियों में तलपट मानचित्र में स्कूल हेतु अंकित भूखण्ड को पार्क में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण की सहमति की दशा में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी।

0-0-0-0

(वी० वी० सिंह)
आई०ए०एस०
उपाध्यक्ष
[illegible]

संलग्नक - 1

9

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषयः— सेक्टर — एफ जानकीपुरम योजना में स्थित पानी की टंकी वाले पार्क में दर्शित स्कूल को ले-आउट से हटाने के सम्बन्ध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय पर यह कहना है कि भूखण्ड सं0— सी—2/179सेक्टर एफ के सामने स्थित पार्क में ले—आउट मी केवल 'पी0 स्कूल' दर्शित है, परन्तु इसके प्रतिकूल वहाँ पर पानी की टंकी तथा पम्प हाउस का निर्माण करा दिया गया है। इसके कारणं पार्क में जगह कम बच रही है जिससे स्कूल बनाने हेतु जगह कम बच रही है अत इसमें स्कूल के निर्माण से पार्क ही समाप्त हो जायेगा। पानी टंकी के साथ स्कूल के निर्माण से अवाछनीय तत्व टंकी तक पहुँचकर पानी में कोई जहर आदि आसानी से डाल सकते हैं। टंकी के कारण स्कूल का भवन भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। हम लोगो से सम्मुख पार्क के कारण अतिरिक्त राशि भी ली गई है। पार्क के एक कोने से लगे बडे भूखण्ड पर कामर्शियल काम्पलेक्स, कम्युनिटी सेन्टर तथा नर्सिंग होम प्रस्तावित है इसके एकदम निकट स्कूल होने से यातायात आदि इतना घना हो जायेगा कि पर्यावरण की समस्या के साथ ही पार्क के आस पास के निवासियो को घर से निकलने में कठिनाई हो जायेगी।

अत अनुरोध है कि कृपया उक्त पार्क के अन्दर दर्शित स्कूल को ले—आउट से हटाने की कृपा करें।

दिनांक 16/8/03

प्रार्थी,

1) [illegible]
C- 2/179, Sector F
2) [illegible]
3) [illegible]

अनु0

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 10

विषय: महायोजना 2001–2021 तेयार किये जाने हेतु यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के संबंध में ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 22.1.2004 में महायोजना–2021 की संरचना हेतु यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विषय संख्या–6 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"महायोजना 2001–2021 तेयार किये जाने हेतु यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स को किस सीमा तक अंगीकृत किया जा सकता है, इस बिन्दु पर नियोजन एवं विधिक दृष्टि से परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जो समस्त तथ्यों का विधिवत् परीक्षण कर एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी । समिति के अन्य सदस्य निम्नवत् होगें :–

1. मुख्य विधि परामर्शी, ल0वि0प्रा0
2. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,
3. मुख्य वास्तुविद्, उ0प्र0आवास विकास परिषद्,
4. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0(संयोजक)

प्राधिकरण द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में गठित समिति की बैठक दिनांक: 10.3.2004 को आयोजित की गयी जिसमें समिति के चार सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में समिति के सदस्यों का यह मत बना कि उक्त गाइड लाइन्स को अक्षरशः (in - toto) अंगीकृत किये जाने में विधिक रूप से अड़चने आयेगीं परन्तु समिति के सदस्यों का यह भी मत था कि गाइड लाइन्स में कतिपय ऐसे अध्याय भी हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार अंगीकृत किये जाने से महायोजना को और अधिक कार्यशील व व्यवहारिक बनाया जा सकता है । समिति की उक्त बैठक का कार्यवत्त संलग्न–1 पर अवलोकनार्थ संलग्न है । पुनः उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में समिति के तीनों तकनीकी सदस्यों क्रमशः मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ0प्र0, मुख्य वास्तुविद्, आवास विकास परिषद् व मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 की एक बैठक दिनांक: 06.4.2004 को आयोजित हुई। उक्त बैठक में सदस्यों द्वारा यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स के विभिन्न तकनीकी अध्यायों का अध्ययन किया गया, अध्ययनोपरान्त सदस्यों द्वारा यू0डी0पी0

Drawal

एफ0आई0 गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के संबंध में की गयी संस्तुतियां (संलग्नक-2) प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Agrawal

संलग्नक-1(3)

लखनऊ महायोजना-2021 तैयार किये जाने हेतु यू.डी.पी.एफ. आई. गाइडलाइन्स के परिप्रेक्ष्य हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक-22.1.2004 में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.3.2004 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. श्री मनोज सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण - अध्यक्ष,
2. श्री आर.पी. शुक्ला, मुख्य विधि परामर्शी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। - सदस्य,
3. श्री एस.बी. दक्षारदार, वरिष्ठ नियोजक एवं प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0। - सदस्य,
4. श्री जी.एस. गोयल, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। - सदस्य/संयोजक,

बैठक में निम्नवत् विचार विमर्श हुआ:-

1. समिति के सदस्यों द्वारा यू.डी.पी.एफ.आई. के अध्ययनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन गाइडलाइन्स को अक्षरशः (टोटो) अंगीकृत किये जाने में विधिक रूप से अड़चनें आयेंगी।
2. यू.डी.पी.एफ.आई. गाइडलाइन्स के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन गाइडलाइन्स में कतिपय ऐसे अध्याय हैं, जिनको आवश्यकतानुसार अंगीकृत किये जाने से महायोजना को और अधिक कार्यशील एवं व्यावहारिक बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि समिति के तीनों तकनीकी सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम - नियोजक, मुख्य नगर वास्तुविद उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद एवं मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण उन अध्यायों का तथ्यक रूप से परीक्षण कर इनको आवश्यकतानुसार अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

संलग्नक-2 13 (15)

यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बंध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.3.2004 में बिन्दु संख्या-2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति :

1. श्री वी0के0 गुप्ता, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 ।
2. श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. श्री जी0एस0 गोयल, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

पूर्व बैठक दिनांक 10.3.2004 के बिन्दु सं0 1 में यह निर्णय लिया गया था कि यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स संविधान संशोधन -74, 1992 को आधार मानते हुए बनायी गयी हैं, अतः इन्हें अक्षरतः (इन टोटो) लागू किये जाने में विधिक अड़चन आयेगी ।

दिनांक 10.3.2004 की बैठक में बिन्दु संख्या-2 के क्रम में यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के विभिन्न तकनीकी अध्यायों का अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरान्त बैठक में विभिन्न तकनीकी अध्यायों के सम्बंध में सदस्यों द्वारा निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया :-

1. यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के अन्तर्गत नगर के सुनियोजित विकास हेतु 04 प्रकार के प्लान्स बनाये जाने का विवरण दिया गया है, जिसमें किसी भी नगर हेतु लम्बी अवधि (20 से 25 वर्ष) के लिये एक 'प्रसपेक्टिव प्लान बनाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त 'प्रसपेक्टिव प्लान के अन्तर्गत मध्यम अवधि (05 वर्ष) के लिये 'डेवलपमेंट प्लान तथा डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत वार्षिक प्लान तथा प्रोजेक्ट व स्कीम इत्यादि बनाये जाने का उल्लेख किया गया है । समिति द्वारा इस बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया कि लखनऊ नगर हेतु जो महायोजना तैयार की जानी है, वह 'प्रसपेक्टिव प्लान की श्रेणी में आयेगी अथवा नही । इस सम्बंध में समिति द्वारा यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के अध्याय संख्या-3 'कन्टेन्टस आफ ए प्रसपेक्टिव प्लान' का अध्ययन किया गया। 'प्रसपेक्टिव प्लान' एवं 'मास्टर प्लान' का कन्सेप्ट अलग अलग है फिर भी इस अध्याय के अन्तर्गत जो दिशा निर्देश दिये गये हैं उक्त के सम्बंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके विभाग द्वारा जो महायोजना तैयार की जाती है, उनमें इस अध्याय के अधिकांश दिशा निर्देश को ध्यान में रखा जाता है। जहां तक अध्याय के बिन्दु संख्या-3.22 के अन्तर्गत 'प्रोजेक्टेट रिक्वायरमेंट का महायोजना की समयावधि के लिये भूमि की आवश्यकता इत्यादि का प्रक्षेपण किया जाता है परन्तु इस प्लान में वित्तीय आवश्यकताओं को राज्य पंचवर्षीय योजना के साथ समन्वित करने में विधिक कठिनाइयां होंगी ।
2. सदस्यों द्वारा यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के अपेन्डिक्स -ए 'सिम्पलीफाई प्लानिंग टेक्निक ' का अध्ययन किया गया। इस सम्बंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत करायागया कि किसी भी नगर की महायोजना को जब प्रथम बार तैयार किया जाता है तो एपेन्डिक्स में दिये गये मार्ग निर्देशो के अनुसार ही समस्त कार्यवाही एवं सर्वेक्षण किये जाते हैं । चूंकि लखनऊ की महायोजना प्रथम बार नही तैयार की जा रही है वरन पूर्व में तैयार की गयी महायोजना के क्रम में ही बनायी जा रही है, अतः उक्त महायोजना हेतु काफी कुछ बेस वर्क पूर्व से ही उपलब्ध है । इस सम्बंध में सदस्यों का यह मत बना कि यदि आवश्यकता हो तो यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स में दी गयी 'प्लानिंग टेक्निकस' का उपयोग भी किया जा सकता है ।
3. समिति के सदस्यों द्वारा यू0डी0पी0एफ0आई0 की अपेन्डिक्स 'नार्म्स एण्ड स्टैण्डर्ड' का अध्ययन किया गया । इस अध्याय के बिन्दु संख्या-1 में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि यह स्टेंडर्ड नगर की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किये जा सकते हैं । सदस्यों द्वारा उक्त अध्याय के बिन्दु संख्या- 2.30 के अन्तर्गत ' प्रस्तावित भू- उपयोग

6/4/04 6/4/04 6/4/04

स्ट्रक्चर ' का अध्ययन किया गया । सदस्यों का यह मत है कि चूँकि लखनऊ नगर एक औद्योगिक नगर नही है वरन उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण एक प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित हुआ है । अतः प्रस्तावित भू–उपयोग की तालिका के अन्तर्गत ' मनोरंजात्मक' एवं 'व्यवसायिक' भू–उपयोग के प्रतिशत को छोडकर अन्य प्रतिशत को निर्धारित किया जाना सम्भव नही होगा । मु ख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह अवगत करायागया कि जो लखनऊ महायोजना– 2021 का ड्राफट तैयार किया गया है, उसमें विभिन्न नार्म्स एवं स्टैण्डर्ड नगर की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किये गये हैं । अध्ययनोपरान्त सदस्यों का यह मत बना कि लखनऊ महायोजना–2021 की संरचना का 'मनोरंजनात्मक एवं व्यवसायिक' उपयोगों के अन्तर्गत प्रतिशत यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स के अनुसार ही रखा जा सकता है ।

4. समिति के सदस्यों द्वारा अपेन्डिक्स–सी ' सिम्पलीफाइड डेवलपमेंट प्रोमोशन रेगुलेशन्स' तथा अपेन्डिक्स–ई 'प्रीप्रेशन आफ बेस मैप एण्ड ग्राफिक प्रेजेन्टेशन टेक्निक' का भी अध्ययन किया गया। अपेन्डिक्स–सी के अध्ययनोपरान्त सदस्यों का यह मत बना कि इसके बिन्दु संख्या–1 के अन्तर्गत 'अर्बन लैण्ड यूज क्लारीफिकेशन' को अंगीकृत किये जाने की आवश्यकता नही है क्योंकि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा लगभग इसी प्रकार से ' लैण्ड यूज क्लारीफिकेशन ' किया जाता है । बिन्दु संख्या–2 के अन्तर्गत ' लैण्ड यूज जोनिंग रेगुलेशन्स' का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है, परन्तु इस हेतु शासन द्वारा जारी किये गये लैण्ड यूज जोनिंग रेगुलेशन्स, स्थानीय स्थिति तथा महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोग जोन्स को भी दृष्टिगत रखा जाय । इस अध्याय के बिन्दु संख्या–3 जो ' डेवलपमेंट प्रोमोशन रेगुलेशन ' से सम्बंधित है के सम्बंध में सदस्यों का यह मत बना कि चूँकि यह महायोजना का भाग नही है, अतः महायोजना की संरचना के पश्चात प्राधिकरण नियमानुसार अपने स्तर से इस सम्बंध में निर्णय ले सकता है। अपेन्डिक्स–ई के सम्बंध में सदस्यों का यह मत बना कि चूंकि बेस मैप इत्यादि का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस अध्याय का उपयोग किया जाना सम्भव नही है ।

5. सदस्यों द्वारा यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के अपेन्डिक्स–एफ 'इन्चायरमेंटल गाइड लाइन्स ' का अध्ययन किया गया । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बंध में शासन द्वारा समय –समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार महायोजना में इनको समायोजित किया गया है । सदस्यों का मत बना कि नगर की स्थानीय परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में इस अध्याय का उपयोग करने पर विचार किया जाय।

(जी0एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

(सुयोग शंकर)
मुख्य वास्तुविद नियोजक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

06.04.04

(वी0के0 गुप्ता)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0,
लखनऊ

2130

प्रस्ताव संख्या : 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त पैटोल पम्प, वीरगति को प्राप्त शहीदों की विधवाओं को प्राथमिकता पर सीधे आवंटित करने विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प की भूमि का आवंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में विषय संख्या-23 द्वारा प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया था कि पेट्रोल पम्प के लिए भूमि आवंटन हेतु शासन द्वारा निर्धारित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

डायरेक्टर जनरल सैटलमेण्ट, भारत सरकार द्वारा वीरगति को प्राप्त शहीदों की विधवाओं के पुर्नवास के लिए रक्षा श्रेणी (महिला) में पेट्रोल पम्प आवंटित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रकार सभी तेल कम्पनियों द्वारा किसी नगर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की संख्या का कुछ प्रतिशत वार विडो कोटे के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में पेट्रोल पम्प के भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाना न तो व्यवहारिक है और न ही मानवीय दृष्टिकोण से उचित है। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल पम्प की भूमि को नि:शुल्क आवंटित किए जाने हेतु समय-समय पर प्राधिकरण में आवेदन दिए जाते रहे हैं किन्तु चूँकि पेट्रोल पम्प के भूखण्डों का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा उस क्षेत्र के व्यवसायिक भूखण्ड हेतु आरक्षित न्यूनतम मूल्य को आधार मानकर किया जाता है, अत: प्रस्ताव है कि, वार विडो कोटे के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को डायरेक्टर जनरल सैटलमेण्ट, भारत सरकार से योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की दशा में मानवीय आधार पर न्यूनतम आरक्षित (व्यवसायिक) मूल्य पर भूखण्ड आवंटन हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाये।

प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

3/Bhatt

अनुपूरक वि0सं0:5

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चारबाग-बाराबंकी रेलपथ के 1086/15-16 कि0मी0 के मध्य निर्मित रेलवे-क्रासिंग को विनीत खण्ड-5 से जोड़ने हेतु लगभग 60.00 मीटर लम्बी (9.00 मीटर चौड़ी) सड़क के निर्माण के लिए स्थल के भू-उपयोग को ''प्राइमरी स्कूल'' से ''सड़क'' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार

बाबा गोरखनाथ नगर कल्याण एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में दायर याचिका संख्या-4406/एमबी/2002 में लिये गये निर्णय (संलग्नक-1) के अनुपालन में रेलवे विभाग द्वारा लखनऊ-बाराबंकी रेलवे पथ के निकट रेल मार्ग 1086/15-16 कि0मी0 के मध्य एक रेलवे क्रासिंग का निर्माण किया गया है तथा यह क्रासिंग 16 जुलाई, 2003 से खुल गयी है। बाबा गोरखनाथ नगर कल्याण एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा उक्त रेलवे क्रासिंग को विनीत खण्ड-5 से जोड़ने हेतु अपने पत्र दिनांक 27.1.2004 (संलग्नक-2) द्वारा अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण द्वारा स्थल पर विकसित विनीत खण्ड-5 में 12.00 मीटर चौड़ी सड़क को प्रश्नगत रेलवे क्रासिंग से जोड़ने हेतु लगभग 60.00 मीटर लम्बाई में 9.00 मीटर चौड़ी सड़क जनहित में बनायी जानी होगी। स्थल के स्वीकृत तलपट मानचित्र में रोड हेतु प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग ''प्राइमरी स्कूल'' हेतु आरक्षित है। सम्पत्ति विभाग की आख्या के अनुसार उक्त प्राइमरी स्कूल का आवंटन अभी नही किया गया है। प्रश्नगत स्थल का पार्ट तलपट मानचित्र संलग्नक-3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निर्मित रेलवे क्रासिंग को विनीत खण्ड-5 में निर्मित 12.00 मीटर चौड़ी सड़क से लिंक करने हेतु बनाये जाने वाली 9.00 मीटर चौड़ी सड़क के लिये स्थल के भू-उपयोग को ''प्राइमरी स्कूल'' से ''सड़क'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0

संलग्नक 1

17

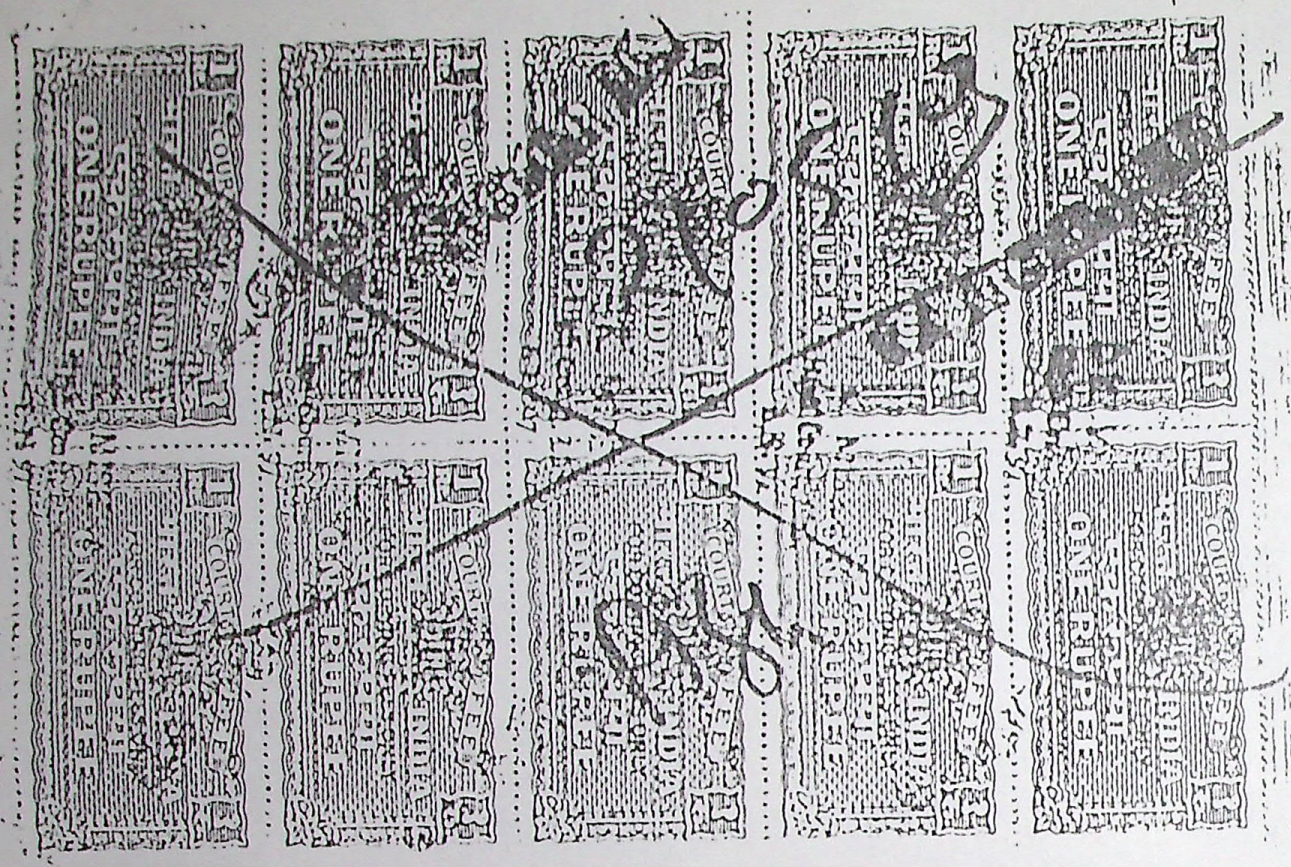

U-8177/01.05.05

[illegible]	
Date of Application	01.05.05
Date of Preparation	02.05.05
Date of Delivery	02.05.05
Signature of Issuing	
[illegible]	

01/05/2005

GROUP (MB) 18

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

WRIT PETITON NO. 1406 OF 2002 (MB)

Baba Gorakh Nath Nagar Kalyan Evam Sanskritik Sansthan, Ramasrey Purva, Post Malesemau, Gomti Nagar, Lucknow through its Secretary Shri B.S.Nayal, aged about 66 years, son of late Shri Chandra Singh Nayal, resident of Ramasrey Purva, Baba Gorakh Nath Nagar, Post Office Malisemau, Gomti Nagar, Lucknow.

.. PETITIONER

Versus

1. Railway Board, Indian Railways, through the Secretary, New Delhi.

2. State of U.P. through the Principal Secretary, Public Works Department, Sachivalaya, Lucknow.

3. Lucknow Development Authority, through Vice Chairman, Lucknow.

..2

(2)

4. Chief Engineer, U.P. Public Works Deptt.
Lucknow.

5. Divisional Railway Manager,
Northern Railway, Hazratganj,
Lucknow.

.. OPP. PARTIES.

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226
OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

To.

The Hon'ble Chief Justice
and his Companion Judges
of the above Hon'ble Court.

The petitioner above named most respectfully begs to submit as under:

1. That the petitioner submits that they have not approached this Hon'ble Court at Lucknow or at Allahabad and they have not filed any writ petition so far, neither there is any matter pending in regard

20

(C.J.'s Court)

Writ Petition No. 4406 (M/B) of 2002

Baba GorakhNath Nagar Kalyan Evam Sanskritik Samstha ... Petitioner

Vs.

Railway Board and others .... Respondents

Hon'ble Tarun Chatterjee, C.J.
Hon'ble Y.R.Tripathi, J.

Heard.

A decision was taken by the Railways as well as the State authorities to have a level crossing in the area comprising Ramasrey Purva, Malesemau and Kharagpur. After this decision of the respondents, the State Government communicated its no objection for opening the railway crossing, in the public interest, through its letter dated July 31, 2000, addressed to the Divisional Railway Manager, Northern Railway, Hazratganj, Lucknow. Thereafter the railway authorities demanded a sum of Rs.29,04,142/- for operation of the railway crossing from the State Government. The State Government agreed to release the entire sum of Rs.29,04,142 in favour of the railway authorities.

The learned standing counsel appearing on behalf of the State authorities has no instruction but submits that if two months' time is granted to the State, the funds, as aforesaid, can be released in favour of the railway authorities. The learned counsel for railway authorities also submitted before us that within three months from the date of receipt of funds as mentioned above, the railway crossing shall be constructed.

In view of the above position, we dispose of this writ application by directing that the State Government shall, within two months from the date of communication of this order, shall release the amount as indicated above in favour of the railway authorities and within three months from the date of

receipt of the said fund by the railway authorities, they shall complete the construction of railway crossing.

With these observations, this writ petition is disposed of. There will be no order as to costs.

23.4.2008

TRUE COPY

Section Officer
Copying Department
High Court, Lucknow Bench
LUCKNOW

संलग्नक-2

बाबा गोरखनाथ नगर कल्याण एवं सांस्कृतिक संस्था 22

पंजीकरण संख्या : 430/98-99

पोस्ट–गलेसेमऊ, (रामआसरे पुरवा), गोमती नगर, लखनऊ–226010

पत्र संख्या

एस. पी. श्रीवास्तव
अध्यक्ष

जे. एम. पवार
उपाध्यक्ष

बी. एस. नयाल
महामंत्री

जे. के. सी. बिष्ट
संयुक्त मंत्री

के. एस. राव
कोषाध्यक्ष

पान सिंह बिष्ट
सांस्कृतिक मंत्री

आलम सिंह रावत
संगठन मंत्री

आर. डी. साह
प्रचार मंत्री

दिनांक 27.1.2004

सेवामें,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ (उ०प्र०)

विषय : याचिका संख्या 4406/एम.बी/2002 के निर्णय दिनांक 23.4.2003 के अनुपालन के संदर्भ में।

महोदय,

उत्तर रेलवे चारबाग–बाराबंकी रेलपथ पर बाबा गोरखनाथ नगर के पास रेलमार्ग 1086/15-16 कि.मी० के मध्य एक रेलवे क्रासिंग माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश के अनुपालन में बन्द है। उक्त क्रासिंग में लखनऊ विकास प्राधिकरण एक पक्षकार था और उसे रेलपथ से विनीतखण्ड-5 को जोड़ने वाली पक्की सड़क लगभग 50 मीटर बनाना था।

यह क्रासिंग 16 जुलाई 2003 से खुल गई है और उक्त सड़क के निर्माण हेतु समिति ने आपसे बार-बार पत्र लिखा है। आप के स्तर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालित सुलभ कराते हुए आपसे पुनः निवेदन है कि इस सड़क का निर्माण शीघ्रता के आधार पर कराने हेतु उचित आदेश / संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित

भवदीय,

(एस० पी० श्रीवास्तव)
(अध्यक्ष)

संलग्नक : माननीय उ० न्या० ल० ख० पीठ के निर्णय दिनांक 23.4.2003 की छाया प्रति।

AE/SE
BCpol
28-1-04

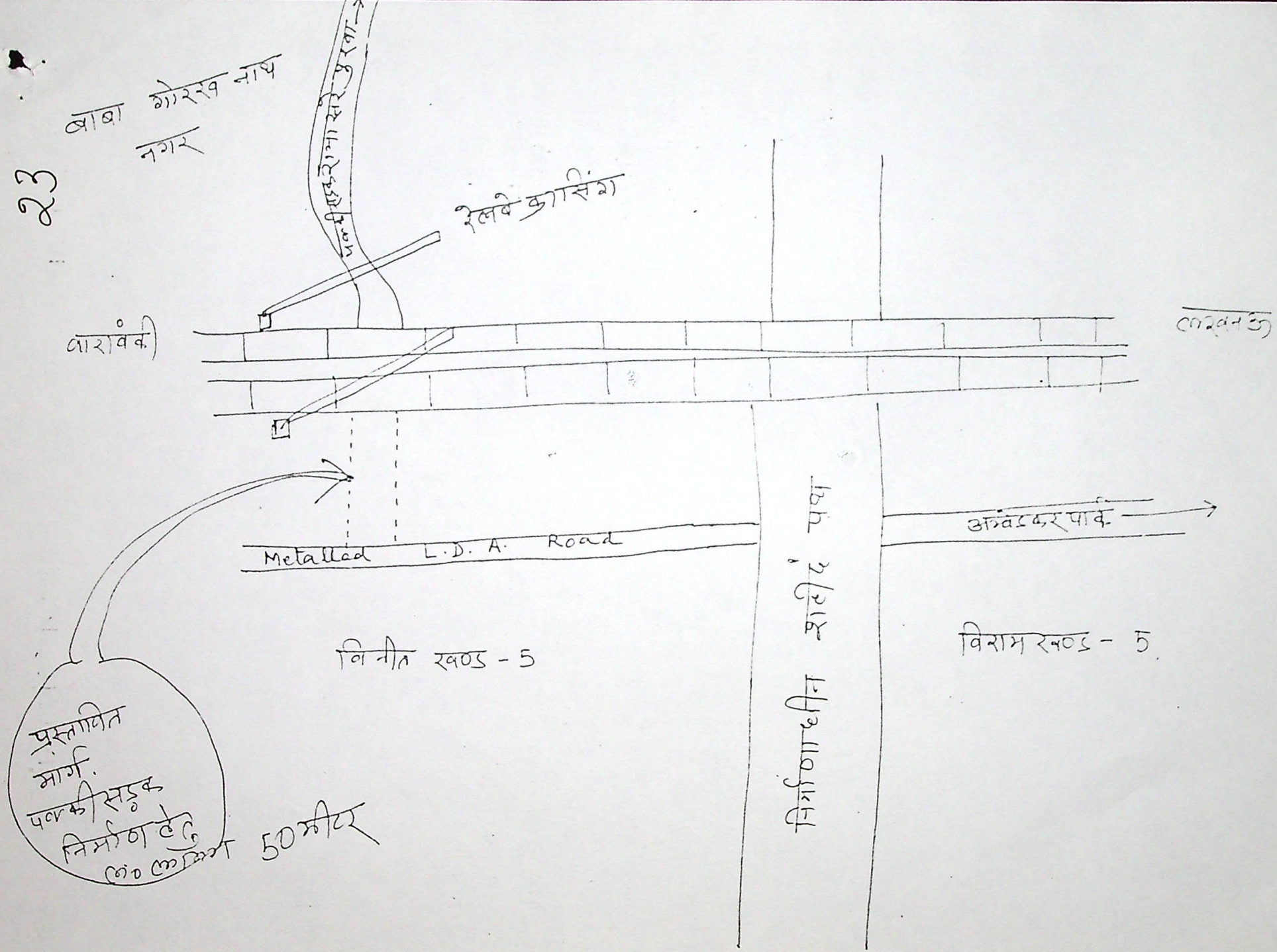
बाबा गोरख नाथ नगर
रेलवे क्रासिंग
वाराणसी
लखनऊ
Metalled L.D.A. Road
अम्बेडकर पार्क
विनीत खण्ड - 5
विराम खण्ड - 5
निर्माणाधीन शहीद पथ
प्रस्तावित मार्ग. पक्की सड़क निर्माण हेतु लगभग 50 मीटर

संलग्नक-3

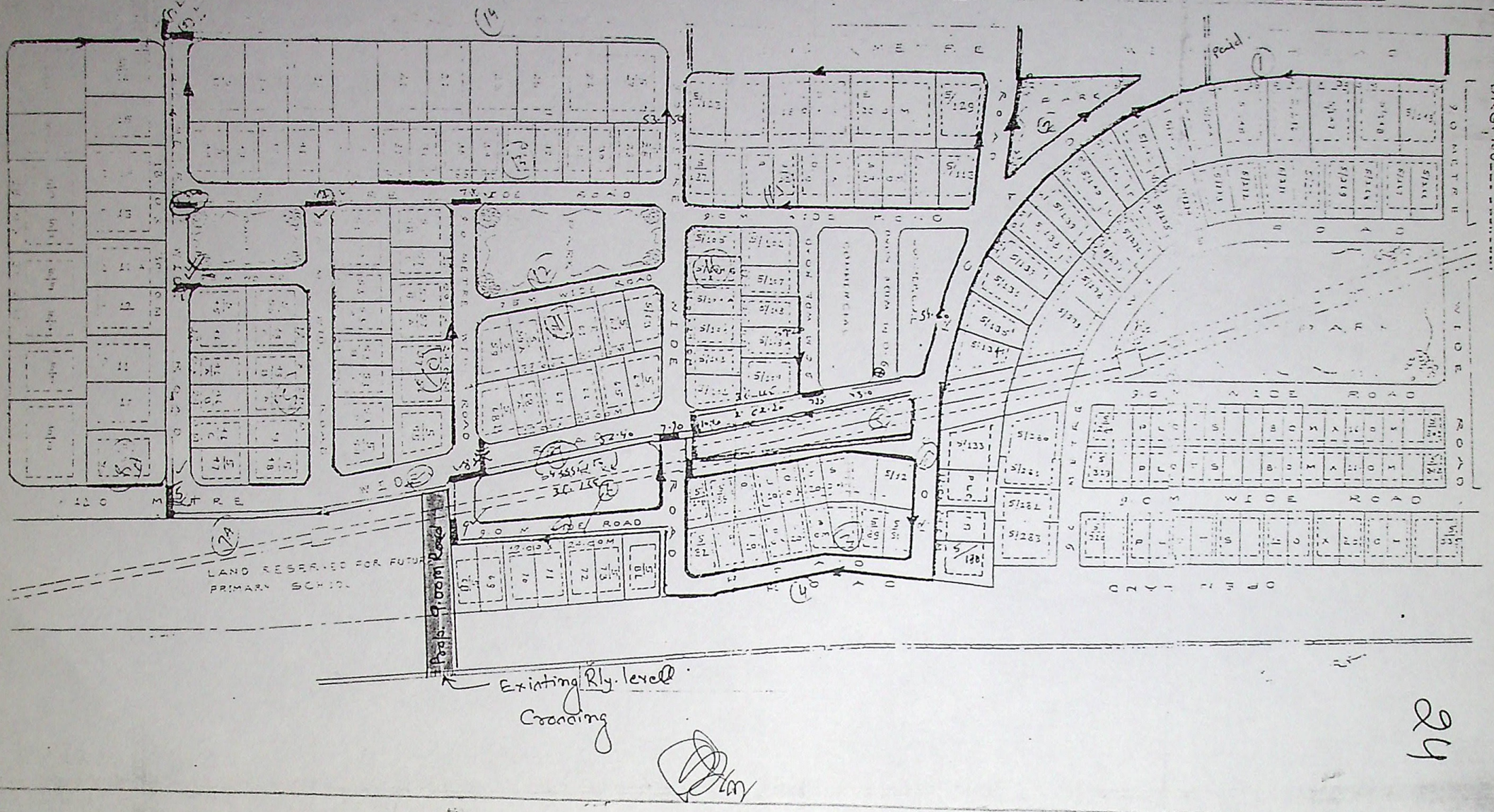

LAND RESERVED FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL
Prop. 9.00m Road
Existing Rly. level Crossing
9.0 M WIDE ROAD
OPEN LAND

24

महायोजना अथवा प्राधिकरण के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले व्यय को आवेदक से वसूले जाने के सम्बन्ध में।

महायोजना अथवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्रों में समय-समय पर भू-उपयोग परिवर्तन के प्रार्थना-पत्र शासन/प्राधिकरण स्तर पर प्राप्त होते हैं, जिनमें परीक्षणोपरान्त शासन अथवा प्राधिकरण स्तर से भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन-साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु लोकमहत्व के दो समचार-पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायी जाती है तथा तत्पश्चात् आपत्ति एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त प्राधिकरण/शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिये जाने की दशा में पुनः दो लोकमहत्व के समाचार-पत्रों में अन्तिम अधिसूचना प्रकाशित करायी जाती है। शासन स्तर से जो भू-उपयोग परिवर्तन की अधिसूचनाएँ प्रेषित की जाती हैं, उक्त के प्रकाशन इत्यादि में आने वाले व्यय को भी प्राधिकरण द्वारा शासन के निर्देशानुसार वहन किया जाता रहा है। ऐसे सभी भू-उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण जो कि किसी व्यक्ति विशेष के अनुरोध पर शासन अथवा प्राधिकरण स्तर से प्रोसेस किये जाते हैं, उनमें धारा-13 की प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशन इत्यादि में होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सभी भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर कार्यवाही करने हेतु भी प्राधिकरण स्तर पर कोई शुल्क भी निर्धारित नहीं है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि महायोजना अथवा प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जो किसी व्यक्ति/संस्था विशेष के अनुरोध पर प्रोसेस किये जाते हैं, उनमें उक्त व्यक्ति/संस्था से 'भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया शुल्क', जिसकी दरें निम्न सूची के अनुसार प्रस्तावित हैं, आवेदन-पत्र के साथ जमा करायी जानी होंगी। भू-उपयोग परिवर्तन के निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क शासनादेश के क्रम में पूर्व की भाँति देय होगा:-

क0सं0	भूखण्ड का क्षेत्रफल	प्रोसेसिंग फीस
1	500 वर्गमी0 तक	रू0 1,000.00
2	501 वर्गमी0 से 1000 वर्गमी0 तक	रू0 1,500.00
3	1001 वर्गमी0 से 2000 वर्गमी0 तक	रू0 2,000.00
4	2001 वर्गमी0 से 1 एकड़ तक	रू0 2,500.00
5	1 एकड़ से 5 एकड़ तक	रू0 4,000.00
6	5 एकड़ से अधिक	रू0 10,000.00

उपरोक्त प्रोसेसिंग फीस के अतिरिक्त सक्षम स्तर (प्राधिकरण/शासन) से भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति/सहमति होने की दशा में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने तथा भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित अन्तिम अधिसूचना हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली सूचना पर होने वाले वास्तविक व्यय धनराशि आवेदक द्वारा सूचना के प्रकाशन से पूर्व प्राधिकरण में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

अनुपूरक: 7 26

रश्मि खण्ड शारदा नगर स्थित आर्मी.वेल्फेयर हाउसिंग आर्गनाईजेशन द्वारा विकसित कालोनी के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं के स्थलों के स्थान परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्मी.वेल्फेयर आर्गनाईजेशन को रश्मि खण्ड शारदा नगर योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु भूमि आवंटित की गयी थी। कालोनी में लगभग 60% निर्माण कार्य तथा 85% विकास कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। आर्मी वेल्फेयर आर्गनाईजेशन द्वारा पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ सार्वजनिक सुविधाओं के स्थल को पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र से परिवर्तन किया गया है, जो निम्नवत् है:.

1. पूर्व स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये सामुदायिक केन्द्र के स्थल को अब स्थान परिवर्तन कर मेन गेट के समीप दर्शाया गया है जो कि सामुदायिक केन्द्र के उपयोग की दृष्टि से उचित है। इस स्थान पर सामुदायिक केन्द्र में होने वाले आयोजनों में बाहर के आगन्तुकों से कालोनी के शेष निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
2. क्लब हाऊस तथा पार्क को पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र में सामुदायिक केन्द्र हेतु आरक्षित स्थल पर प्रस्तावित किया गया है, जो कालोनी के बीच में होने के कारण सभी निवासियों के लिए उपयुक्त है।
3. इसके अतिरिक्त कालोनी के आवंटियों की आवश्यकता के अनुसार आवासीय भवनों की इकोनामी श्रेणी के दो ब्लाक के स्थान पर एकल यूनिट के भवनों का प्रस्ताव है ।

उक्त के दृष्टिगत स्वीकृत ले.आऊट में आरक्षित भू.उपयोग के स्थान पर वैकल्पिक उपयोगों में परिवर्तन करने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुशरण में जनता से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से दिनाँक 30.4.2004 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि दि0 30.5.2004 तक कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आर्मी.वेल्फेयर हाउसिंग आर्गनाईजेशन की कालोनी के रेजीडेण्ट्स एशोसियेशन की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त परिवर्तन से सोसाईटी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उक्त के दृष्टिगत विन्यास मानचित्र की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(नाईकेन्द्रीय मैन)
अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन/भवन-1
उत्तरप्रदेश विकास प्राधिकरण, लखनऊ

अनुपूरक

विषय संख्या : 8 पृष्ठ संख्या : 27

विषयः- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में आवंटित भूखण्डों के विरूद्ध लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में फेज-2 के अर्न्तगत वर्ष 1993 में श्री राजेश कुमार अग्रवाल, श्री सचिव कुमार अग्रवाल, श्रीमती विमला देवी अग्रवाल एवं श्री विमल शाह तथा श्री सत्य नारायण अग्रवाल को क्रमशः भूखण्ड संख्या ए-3/3, ए-3/2, ए-3/1 एवं पी-7/2 लाटरी द्वारा आवंटित किया गया था उपरोक्त आवंटियों द्वारा स्थल पर विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण धनराशि का भुगतान समय से नहीं किया गया बताया गया, तथा दिनांक 24-5-2002 को आवंटित भूखण्डों का समायोजन फ्रेज-1 में किया गया है।

माननीय श्री बनवारी लाल कंछल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र में उपरोक्त आवंटित भूखण्डों पर जो ब्याज लगाया गया है उसे माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 2020/वीएससीएम दिनांक 8-04-2004 द्वारा उपरोक्त प्रकरण को आगामी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में पुनः सम्मिलित कर ब्याज माफी कर अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में ब्याज माफी का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक दिनांक 22-1-2004 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 अपने विवेक से गुण-दोष के आधार पर ब्याज माफी के सम्बन्ध में निर्णय लें। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष को 50 प्रतिशत (अधिकतम रूपया 25000/-) तक ब्याज माफ करने का अधिकारी निहित किया गया है इस सम्बन्ध में अपर सचिव द्वारा दिनांक 4-3-2004 को उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार सुनवायी की गयी जिसमें रू0 25,000/- माफी हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश किया गया जो श्री बनवारी लाल कंछल को मान्य नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा बार-बार पूरा ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

क्रमशः .....2.

28

माननीय श्री बनवारी लाल कंछल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा द्वारा अपने पत्र में अनुरोध किया गया कि उनके चारों भूखण्डों पर लगाया गया ब्याज माफ किया जाना सम्भव न हो तो दो भूखण्डों पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाये तथा शेष दो भूखण्डों पर साधारण ब्याज सहित उनकी धनराशि वापस कर दी जाये। इनके द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दायीं ओर संलग्न है।

इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं पर बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाना है।

अवगत कराना है कि पताका-'क' पर संलग्न बोर्ड बैठक में निर्णय सुनिश्चित है कि वर्तमान में गुण-अवगुण के आधार पर उपाध्यक्ष को देय दण्ड ब्याज/अतिरिक्त ब्याज की धनराशि 50 प्रतिशत (रूपया 25,000/- अधिकतम) से अनाधिक की सीमा तक ऐसे प्रकरणों में माफ करने का अधिकार होगा जिसमें आवेदन करते समय आवेदक द्वारा कुल देय ब्याज का 50 प्रतिशत जमा कर दिया गया हो तो।

14/7/2004
योजना सहायक

14/7/04
अनुभाग अधिकारी

उपायोग

प्राधिकरण बोर्ड बैठक हेतु प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या : 9 पृष्ठ संख्या 29

विषय :– प्राधिकरण के प्रयोग हेतु दो वाहन (अम्बेसडर कार) क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में हल्के वाहनों में 26 अम्बेसडर कार है। जिनका प्रयोग अधिकारियों द्वारा होता है, एवं समय–समय पर शासन एवं प्रशासन को उपलब्ध कराये जाते है। कुछ वाहन वर्ष 1986–87 एवं 1989 के है जो अत्याधिक पुराने हो चुके है, और इनकी मरम्मत कराने के उपरान्त भी उच्च अधिकारियों के चलने लायक नहीं है। अतः प्राधिकरण कार्यहित में दो नये वाहन क्रय किये जाना अपरिहार्य है। जिसपर अनुमानतः लगभग रू0 11 लाख का व्यय सम्भावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

(एस0के0 पाठक)
अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)

अनु० 10

विषय : नजूल भूखण्ड संख्या-34/3, बटलरगंज, गोखले मार्ग, लखनऊ में साईड सेट बैक की चौड़ाई में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :

उपयुक्त नजूल भूखण्ड बटलरगंज गोखले मार्ग स्थित कार्नर का भूखण्ड है, जिसमें भवन निर्माण उपविधि 2000 के प्राविधान के क्रम में सामने 3.00 मीटर, पीछे 3.00 मीटर तथा साईड रोड की ओर साईड में 3.00 मीटर सेट बैक छोड़ने के साथ-साथ साईड रोड को 9.00 मीटर करने हेतु 1.50 मीटर चौड़ाई की भूमि छोड़ना अनिवार्य है। प्रश्नगत भूखण्ड से लगा हुआ उत्तर दिशा में एक भवन निर्मित है जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड के साइड सेटबैक की तरफ दरवाजे एवं खिड़की खुलते हैं। यदि पक्ष के मानचित्र में उक्त भवन की तरफ 3.00 मीटर चौड़ा साइड सेटबैक नहीं छोड़ा जाता है तो उक्त भवन में प्रकाश एवं संवातन प्रभावित होगा, जिस कारण से उक्त भवन की तरफ प्रश्नगत भूखण्ड में 3.00 मीटर चौड़ा सेटबैक छोड़ा जाना अनिवार्य है, ताकि उक्त भवन में प्रकाश एवं संवातन की समस्या उत्पन्न न हो। यदि उक्त भवन की तरफ अतिरिक्त 3.00 मीटर का साईड सेट बैक छोड़वाया जाता है तो पक्ष के सामने 3.00 मीटर, पीछे 3.00 मीटर तथा दोनों साईड में क्रमशः 3.00 मीटर का सेट बैक छोड़ना होगा जिस कारण से पक्ष के प्रस्तावित भवन की चौड़ाई मात्र 6.25 मीटर बचती है। पक्ष का निवेदन है कि यदि दोनों साईड में 3.00 मीटर का सेट बैक छोड़ा जाता एवं साईड रोड को 9.00 मीटर करने हेतु नियमानुसार 1.50 मीटर चौड़ी भूमि छोड़ी जाती है तो पक्ष द्वारा मात्र 6.52 मीटर चौड़ी भूमि में भवन निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है। पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से साईड रोड की तरफ छोड़े जाने वाले साईड सेट बैक की चौड़ाई 3.00 मीटर की छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के प्राविधान संख्या 3.4.1 के क्रम सं0-(V) में यह उल्लेख है कि "विशेष परिस्थिति में कोने के भूखण्ड के साईड सेट बैक में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकेगी।"

पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये अनुरोध तथा भूखण्ड में उत्तर दिशा में निर्मित भवन की ओर अतिरिक्त साईड सेट बैक 3.00 मीटर चौड़ा छोड़े जाने के दृष्टिगत साईड रोड की तरफ छोड़े जाने वाले साईड सेट बैक की चौड़ाई में छूट प्रदान करने का बिन्दु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुपूरक वि.सं.: //

विषय: स्वर्ण पुष्प शिक्षा समिति को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड-6 में रियायती दर पर भूमि दिये जाने विषयक।

स्वर्ण पुष्प शिक्षा समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.7.2001 के माध्यम से 2000.00 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था। यह संस्था सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत है एवं संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/शिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था करना।
2. जनजीवन के समाजिक मानसिक, नैतिक, शारीरिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु प्रयास कर स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना।
3. विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामशाला, चिकित्सालय, प्रयोगशाला आदि की स्थापना करना।
4. छात्र/छात्राओं को साहित्यिक वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक तथा प्रतियोगितात्मक शिक्षा दिलाकर उन्हे आर्दश नागरिक बनाना।
5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक व निर्धन छात्र, छात्राओं के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर हार्डवियर, इन्टरनेट आदि की नि:शुल्क व्यवस्था कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने हेतु समकक्ष योग्यता प्रदान करना।
6. समाज के अशिक्षित वर्ग को शिक्षित बनाना। नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं कोचिंग की सुविधा प्रदान करना ताकि सभी शैक्षिक प्रतियोगिता के लिए छात्र छात्राओं को तैयार किया जा सके।

संस्था ने अपने प्रस्ताव के साथ रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र संस्था की नियमावली इत्यादि संलग्न की थी उपरोक्त संस्था को विचारोपरान्त उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 2000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन विपुल खण्ड-6 के संस्थागत क्षेत्र में करते हुए रू0-2,400.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रस्ताव प्रेषित करने को आदेशित किया गया संस्था ने अपने पत्र दिनांक 12.2.2004 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अन्य संस्थाओं की भॉति इस संस्था से भी आवासीय दर की 50 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध करायी जाये।

महायोजना के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें एवं सेवाओं के अन्तर्गत आता है और प्राधिकरण की अर्थविवेचना को तैयार करते हुए पूर्व में उपरोक्त भूमि का मूल्य 50 प्रतिशत पर ही प्राविधानित किया जाता रहा है।

पूर्व में इसी क्षेत्र में गौरव इस्टीट्यूट लाइफ लाइन तथा ब्रह्मकुमारी , डा0 भीमराव अम्बेदकर सेवा संस्थान एवं योगोदा सत्संग सोसाइटी इत्यादि को आवासीय दर की 50 प्रतिशत पर भूमि प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गयी है।

विपुल खण्ड की वर्तमान दर रू0-3,000.00 प्रति वर्ग मीटर है। उपरोक्त के दृष्टिगत स्वर्ण पुष्प शिक्षा समिति को रियायती दर पर भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण निर्णय लेना चाहे।

14/7/04

14/7/04

विषय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या:

विषय: भवन संख्या: 31/93, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ के आवासीय उपयोग में कार्यालय उपयोग की अनुमति दिये जाने के संबंध में विचार ।

भवन संख्या: 31/93, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ की स्वामिनी श्रीमती मृदुला देवी व अन्य द्वारा दिनांक: 06.7.2004 को प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र(संलग्नक–1) प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनका भवन महात्मा गाँधी मार्ग पर स्थित है। इस भवन के पश्चिम में चर्च, उसके पश्चात गाजीउद्दीन हेदर केनाल व लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भवन है तथा पूरब में भारत पेट्रोलियम का कार्यालय भवन है । अत: भवन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इसके उपयोग को आवासीय में किया जाना सम्भव नहीं है और न ही यह व्यवहारिक है। उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि महायोजना के जोनिंग रेग्यूलेशंस के प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नगत स्थल के उपयोग को कार्यालय में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये ।

लखनऊ महायोजना–2001 (संशोधित) के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आवासीय (आर–2) है तथा सम्मुख स्थित मार्ग की चौड़ाई 45.0 मीटर है । महायोजना में विकासशील/अविकसित क्षेत्रों हेतु निर्धारित जोनिंग रेग्यूलेशंस के बिन्दु संख्या–2.1 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधान में आवासीय क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से 40% भू–आच्छादन व 100 एफ0ए0आर0 के साथ कार्यालय उपयोग अनुमन्य किया गया है । पूर्व में भी प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकरणों में इस प्रकार की अनुमति प्रदान की गई है । अत: उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित भवन सं0: 31/93 में जोनिंग रेग्यूलेशंस में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालय उपयोग अनुमन्य किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

संलग्नक -1

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय: भवन संख्या-31/93, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ को आवासीय के स्थान पर कार्यालय उपयोग में अनुमति दिए जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उक्त भवन महात्मा गॉधी मार्ग पर स्थित है जिसके पश्चिम में चर्च उसके बाद नाला एवं पी0डब्लू0डी0 का कार्यालय भवन स्थित है तथा पूरब में भारत पैट्रोलियम का कार्यालय है। उक्त भूखण्ड की स्थिति के दृष्टिगत भवन का आवासीय प्रयोग किया जाना न तो सम्भव है और न ही व्यवहारिक है।

लखनऊ महायोजना-2001 के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में 40 प्रतिशत भू-आच्छादन व 100 प्रतिशत एफएआर के साथ कार्यालय उपयोग अनुमन्य किए जाने के कार्य प्राधिकरण बोर्ड में निहित हैं। पत्र के साथ महायोजना-2001 में स्थल की स्थिति, भू-स्वामित्व प्रपत्र की प्रतिलिपि एवं मानचित्र की प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कराते हुए आवासीय भवन को कार्यालय भवन में अनुमति दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

प्रार्थीगण,

मृदुला

(मृदुला देवी व अन्य)
पत्नी स्व0 श्री रणबीर सिंह,
5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू,
लखनऊ।

दिनांक 6.7.04

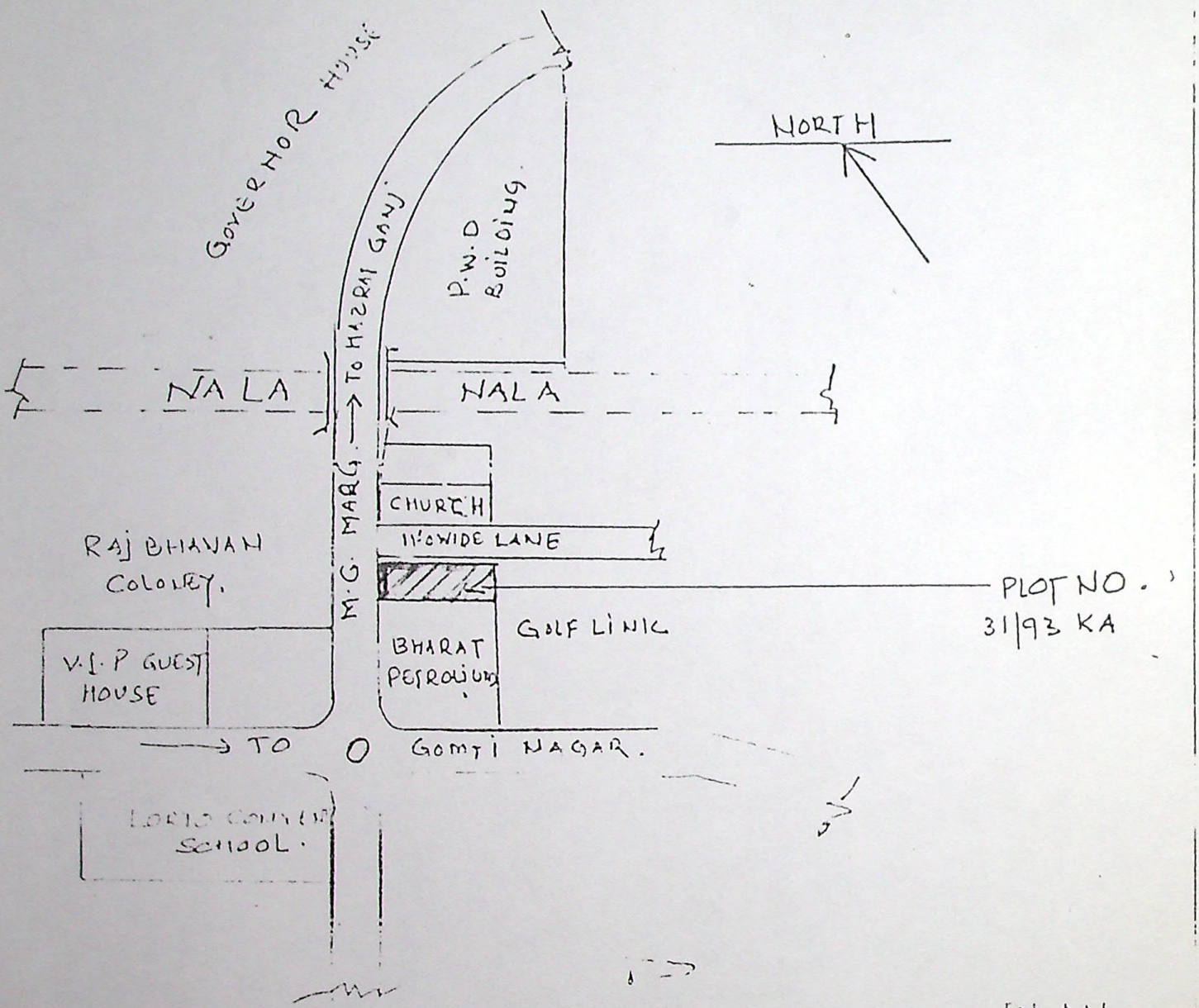

KEY PLAN

SCALE: (NOT TO SCALE)

KEY PLAN OF MRS. MRIDULA DEVI W/O LATE SHRI RANBEER SINGH & OTHER ON PLOT NO. 31/93 KA SITUATED AT MAHATMA GANDHI MARG LUCKNOW

विषय संख्या: 13 पृष्ठ संख्या:

विषय: पेपर मिल कालोनी स्थित 'पीला स्कूल' से सम्बन्धित भूमि के भू–उपयोग को "कैफी आजमी सेमीनार हाल' के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के संबंध में विचार ।

पेपर मिल कालोनी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा पीला स्कूल का संचालन किया जा रहा है तथा इसका स्वामित्व नगर निगम का है। नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम द्वारा अपने पत्र संख्या: 18/न0आ0/मु0वा0, दिनांक: 06.4.2004 के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि चूँकि स्कूल का भवन अतिग्रस्त अवस्था में है तथा स्थल पर लखनऊ नगर निगम द्वारा देश के महान साहित्यकार कैफी आज़मी के विचारों को गति देने के उद्देश्य से उनकी यादगार में "आल इण्डिया कैफी आज़मी संस्था" के सहयोग से आडिटोरियम/सेमीनार हाल के निर्माण की योजना है तथा इस योजना में स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रूचि ली जा रही है अतः प्रश्नगत स्थल के भू–उपयोग को स्कूल से व्यवसायिक में परिवर्तित कर दिया जाये । चूँकि आडिटोरियम/सेमीनार हाल का निर्माण व्यवसायिक उपयोग में न आकर सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में आता है, अतः उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के अनुरोध पर पीला स्कूल से संबंधित परिसर के 5850.0 वर्गमीटर भूमि के भू–उपयोग को स्कूल से 'सामुदायिक सुविधाओं सभागार' में परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । प्राधिकरण से सहमति की दशा में प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी ।

Dhayal

वर्ष 2003-2004 का वास्तविक

तथा

वर्ष 2004-2005 का मूल

आय-व्ययक

वर्ष 2004-2005

लखनऊ विकास प्राधिकरण

शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्रतिबद्ध

	ઓવર્ન	નિગઢ	તર્કમાં
આયો	480	64	49

ભરપાઈ - 279
34 ભાઈ - 383

Land Bank

1933 Hec - pending with DM

ઠેરાં 7.75

Decretal ~~[illegible]~~ ઘાટ 18 - Cr 5.64
ઘાટ 28 - 31 Cr. stayed

Registry - 20 - [illegible]

Property

Ext -
Hardri - 1380 acre
250 - [illegible]
D - 780 plots - 60 acre
H - [illegible]
1, 0, 8, F -
190 acre - Housing Board.

मूल बजट 2004-2005 की विषय सूची

क्र०सं०	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
1-	प्रस्तावना	1-4
2-	मूल बजट 2004-2005 का तुलनात्मक तथा सारांश एक दृष्टि में	5
3-	राजस्व /पूंजीगत आय पर संक्षिप्त टिप्पणी	6-8
4-	राजस्व आय	9-10
5-	पूंजीगत आय	11-13
6-	राजस्व/पूंजीगत व्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी	14-16
7-	राजस्व व्यय	17-19
8-	पूंजीगत व्यय	20-22
9-	अधिष्ठान/योजनावार विकास/निर्माण व्यय प्रस्ताव परिशिष्ट	23-30

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

2004-2005

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना

सर्वप्रथम लखनऊ नगर में आवास कार्यो का संचालन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत फरवरी 1960 से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ नगर महापालिका के विकास विंग के रूप में, शहर के आवास और विकास कार्यो का संचालन करने लगा। शहर की बढ़ती आबादी के कारण यह अनुभव किया गया कि नगर में विकास और आवास के कार्यो के सुनियोजित ढंग से करने पर ही समस्या को सुलझाना सम्भव होगा। इसके समाधान की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी और इसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति सं. 3923/37- वि.प्रा. -72 दिनांक 11.9.1974 द्वारा लखनऊ नगर को योजनाबद्ध विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका (नगर निगम) की सीमा के अन्दर का क्षेत्र तथा महापालिका सीमाओं में 8 किलो मीटर दूरी का क्षेत्र (कन्टोनमेंट एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा जल-थल नभ सेवा हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्र छोड़कर) विकासशील सम्मिलित क्षेत्र घोषित किया गया, इस विकासशील क्षेत्र का सुनियोजित ढंग से विकास करने की दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण, की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति सं० 2829/37 - 1-स-2 वि.प्रा. दिनांक 13-9-1974 द्वारा की गयी। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ लखनऊ नगर महापालिका से अलग होकर प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करने लगा।

1.2 संगठन

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है:-

1.	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3.	नगर आयुक्त, (नगर निगम) लखनऊ	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य (पदेन)
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य (पदेन)
6.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०	सदस्य (पदेन)
7.	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, (जिसकी स्थापना जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज एक्ट 1975 के अन्तर्गत हुई)	सदस्य (पदेन)
8.	जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य (पदेन)
9.	शासन द्वारा मनोनीत (अशासकीय सदस्य)	सदस्य (पदेन)

इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर 1537 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 669 दैनिक वेतन भोगी एवं वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं।

1.3 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-7 के अनुसार प्राधिकरण, का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजनानुसार विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु इसका कार्य निम्न प्रकार है:-

(1) प्राधिकरण के कार्यों हेतु भूमि तथा अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्यवस्था करना।

(2) विकास/निर्माण कार्य, तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों को निष्पादित करना।

(3) जल, बिजली के प्रदाय के सम्बन्ध में योजनाओं को निष्पादित करना।

(4) मल का व्ययन करने और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।

(5) नगर की अवस्थापना सुविधा से सम्बन्धित कार्य।

1-4 कार्य कलाप

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण को विशेष रूप से निम्नांकित कार्यवाही करनी पड़ती है।

(1) भूमि अर्जन

(2) भूमि विकास

(3) आवासीय भवनों/दुकानों तथा व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण

(4) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

(5) भूमि विकास एवं निर्माण विनियम का पालन सुनिश्चित करना।

(6) शासन के निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध।

(7) पार्कों का निर्माण/सौन्दर्यीकरण/रख-रखाव तथा वृक्षारोपण।

(8) शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

2003-2004 में प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में, कानपुर रोड़, गोमती नगर, सीतापुर रोड़, जानकीपुरम् विस्तार, अवध अपार्टमेंट तथा शारदा नगर थी। इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी योजनायें भी थीं। गोमती नगर योजना के वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड, विजयन्त खण्ड, विभव खण्ड, विक्रान्त खण्ड, विराज खण्ड, विशेष खण्ड, ग्राम पारा योजना, आश्रय विहीन योजना, शारदा नगर तथा कानपुर रोड़ योजनाओं के विभिन्न खण्डों पर अधिक ध्यान दिया गया और प्रयास किया गया कि इनके विकास कार्य/भवन निर्माण पूर्ण हो जायें।

1.5 व्यय की पूंजीगत मदों में अपेक्षाकृत अधिक व्यय किया गया है। विशेष रूप से ऋणों के पुर्नभुगतान में एच.डी.एफ.सी. बैंक के ऋण से पूर्णतया मुक्ति प्राप्त कर ली गयी है। हड़को ऋण से पूर्ण अवमुक्ति हेतु प्रयास चल रहा है शासकीय ऋण की वापसी रूपये 1,522-30 लाख की कर दी गई है।

1.6 वर्ष 2004-2005 हेतु बजट प्रस्ताव योजनावार संकलित करके प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

वर्ष 2003-2004 का वास्तविक एवं वर्ष 2004-2005 के प्रस्तावित आय-व्यय का सारांश

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2002-03	पुनरीक्षित/ वास्तविक बजट 2002-03	मूल बजट 2003-2004	पुनरीक्षित/ वास्तविक 2003-2004	प्रस्तावित 2004-05
1.	प्रारम्भिक अवशेष	4211.29	4,211.29	4,874.92	5,246.31	12,044.64
2.	राजस्व आय	1410.00	1346.94	1781.00	3257.14	3056.00
3.	पूंजीगत आय	22080.00	38793.43	25930.00	35084.63	33358.00
4.	कुल आय (2+3)	23,490.00	40,140.37	27,711.00	38,341.77	36414.00
	योग (1+4)	**27,701.29**	**44,351.66**	**32,585.92**	**43,588.08**	**48,458.64**
5.	राजस्व व्यय	3669.63	3720.81	3582.00	3683.95	4,538.00
6.	पूंजीगत व्यय	19039.37	35384.54	23790.00	27859.49	24,325.00
7-	कुल व्यय (5+6)	22,709.00	39,105.35	27,372.00	31,543.44	28,863.00
8.	अन्तिम अवशेष	4,992.29	5,246.31	5,213.92	12,044.64	19,595.64
	योग (7+8)	**27,701.29**	**44,351.66**	**32,585.92**	**43,588.08**	**48,458.64**

(पारस नाथ)
लेखाधिकारी

(नरेन्द्र भूषण)
वित्त नियंत्रक

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

मूल बजट 2004-2005 के राजस्व/पूँजीगत, लेखे पर संक्षिप्त टिप्पणी

आय-पक्ष

राजस्व लेखे की आय पक्ष में आवर्तक मदों से प्राप्त होने वाली आय जमा की जाती है। इस लेखे में प्रमुख मदें विभिन्न किरायों से आय, भवन विभाग से आय विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों से आय तथा पार्कों से आय सम्मिलित है।

किराये की मद में लीज किराया, भवनों, दुकानों के किराये शामिल हैं। इसके प्राविधान पूर्व वित्तीय वर्ष के वास्तविक प्राप्ति, बकाया तथा बजट वर्ष की मांग पर आधारित है। वर्ष 2003-2004 के मूल बजट में कुल प्राविधान रू0 308.00 लाख था जिसके विरूद्ध रू0 556.47 लाख की वास्तविक आय वर्ष 2003-2004 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2004-2005 में यह आय रू० 580.00 लाख प्रस्तावित की गई है ।

भवन नियंत्रण विभाग से मानचित्र, समाधान शुल्क, लाइसेंस फीस, विकास तथा मलवा चार्जेज की मदों से आय प्राप्त होती है। बजट 2003-2004 में रू0 393.07 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2004-2005 में इस मद से अधिक आय प्राप्त करने हेतु रू० 581.00 लाख का प्राविधान किया गया है नई आवास नीति के अंतर्गत 100 मीटर तक भवनो के मानचित्र पारित कराना अनिवार्य नहीं है। परन्तु एल0डी0ए0 के मानक के अनुसार निर्माण करना आवश्यक है।

पूँजी लेखा, विकास प्राधिकरण के लेखों का मुख्य भाग है जिससे भूमि भवन व्यावसायिक केन्द्र की बिक्री, शासन एवं संस्थागत ऋणों की प्राप्ति दर्शायी जाती है। इस समय जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर रोड सेक्टर-जे, ग्राम-पारा इत्यादि योजनाओं में

भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले वर्ष में देय किश्तों की धनराशि पूर्व वर्षो की बकाया धनराशि तथा बजट वर्ष में नई मांग को ध्यान में रख कर प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। इसी प्रकार शारदा नगर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम् विस्तार योजना विकल्प खण्ड, गोमती नगर विस्तार तथा हरदोई रोड योजना इत्यादि में भी कार्य चल रहे हैं तथा अगले वर्ष में भी योजनाबद्ध रूप से कार्य कराये जाने के प्रस्ताव हैं। भूमि/भवन की बिक्री की मदों में निम्नवत् रूप से प्राविधान रखे गये हैं।

सम्पत्ति की बिक्री	मूल बजट 2003-2004	वास्तविक 2003-2004	मूल बजट 2004-2005
भूमि की बिक्री	11,700.00	13051.48	19,400.00
भवनों, दुकानों/किराये की सम्पत्ति की बिक्री	6,750.00	8501.81	4,850.00

उपरांकित प्रस्ताव में पूर्व वर्षो की वास्तविक प्राप्ति को ध्यान में रखा गया है तथा अधिक से अधिक बकाये तथा चालू वर्ष की मांग की वसूली को दृष्टि में रखा गया है। साथ ही साथ शासन से अनुदान तथा डिपाजिट कार्य से प्राप्त आय की मद में वर्ष 2004-2005 में रू0 885.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

व्यवसायिक भूखण्डों की किस्तें/बिक्री तथा बल्क सेल की मद से प्राप्त होने वाली आय रू० 10000.00 लाख में रू० 1500.00 लाख व्यवसायिक भूखण्डों से, रू० 2500.00 लाख बल्क सेल से तथा रू० 6000.00 लाख की धनराशि आवास विकास परिषद से भूमि की लागत तथा बाह्य विकास कार्य की मद से प्राप्त होना प्रस्तावित है।

भवनों की बिक्रीः-

भवनों की किश्तों/बिक्री तथा हायर परचेज से प्राप्त होने वाली आय की मद में वर्ष 2003-2004 हेतु रू0 6500.00 लाख के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 2003-2004 में रू0 8266.46 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2004-2005 हेतु रू0 4000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

पूँजी लेखे की प्रमुख मद पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय है। बजट प्राविधान वर्ष 2003-2004 हेतु रू0 1500.00 लाख के विरूद्ध रू0 5160.14 लाख की आय वर्ष 2003-2004 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2004-2005 हेतु रू0 5500.00 लाख का प्राविधान रखा गया है। इस प्रकार वर्ष 2004-2005 में कुल रू० 36,414.00 लाख की आय प्राप्ति का अनुमान रखा गया है।

आय पक्ष

राजस्व आय — लाख रूपये में

क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2002-03	पुनरीक्षित/ वास्तविक बजट 2002-03	मूल बजट 2003-2004	पुनरीक्षित/ वास्तविक 2003-2004	प्रस्तावित 2004-05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	किराया					
	1- समस्त योजनाओं का लीज किराया/ फ्री होल्ड शुल्क	250.00	319.51	250.00	526.01	500.00
	2- भवनों/दुकानों/कार्यालय भवनों का किराया	70.00	54.33	50.00	20.90	70.00
	3- सामुदायिक केन्द्रो का किराया	6.00	8.67	8.00	9.56	10.00
2-	स्टाम्प डियूटी से आय	500.00	219.88	500.00	1522.30	1000.00
3-	योजनाओं के वाटर/ सीवर चार्जेज	50.00	57.85	50.00	45.69	50.00
4-	विनियोगों पर व्याज	100.00	301.13	200.00	93.30	200.00
5-	भवन नियंत्रण विभाग से आय					
	1- मानचित्र शुल्क	20.00	14.45	25.00	23.19	25.00
	लेवी चार्जेज	55.00	15.88	60.00	35.11	50.00
	समाधान शुल्क (कम्पाउन्डिंग)	55.00	51.01	200.00	183.10	300.00
	लाइसेंस शुल्क	2.00	0.08	2.00	0.44	1.00
	विकास शुल्क/सृदृढ़ीकरण	21.00	10.31	25.00	80.24	100.00
	मलवा चार्जेज	54.00	30.01	60.00	37.38	55.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7- सुपरवीजन चार्ज	35.00	15.46	50.00	33.61	50.00
6.	विभिन्न प्रपत्रों की बिक्री से आय					
	1. फार्म/रजिस्ट्रेशन प्रपत्रों / नक्शे की बिक्री से आय	12.00	6.85	15.00	13.28	15.00
7.	ठेकेदार पंजीकरण शुल्क	20.00	-	20.00	11.28	20.00
8.	पार्कों से आय					
	1. प्राधिकरण पार्कों से आय (नजूल पार्क सहित)	30.00	15.98	30.00	51.76	50.00
	2. अम्बेडकर मैदान से आय	-	-	-	-	25.00
9.	हस्तांतरण शुल्क	30.00	14.13	36.00	32.80	35.00
10.	अन्य आय	100.00	211.41	200.00	537.19	500.00
	योग	**1410.00**	**1346.94**	**1781.00**	**3257.14**	**3056.00**

पूँजीगत आय

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2002-03	पुनरीक्षित/ वास्तविक बजट 2002-03	मूल बजट 2003-2004	पुनरीक्षित/ वास्तविक 2003-2004	प्रस्तावित 2004-05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	ऋण					
1.	हड़को से ऋण	100.00	-	1445.00	-	-
	योग	**100.00**	**-**	**1445.00**	**-**	**-**
(2)	शासन से अनुदान					
1.	डा० अम्बेडकर स्मारक (अनुरक्षण)	-	3.20	150.00	75.00	150.00
2.	डा० अम्बेडकर स्मारक	400.00	2305.48	50.00	-	-
3.	रमाबाई अम्बेडकर पर्यटक स्थल	-	-	300.00	-	-
4.	डा० अम्बेडकर मैदान	-	-	300.00	-	-
5.	डा० भीमराव अम्बेडकर अर्न्तराष्ट्रीयसामाजिक परिवर्तन पुस्तकालय एवं संग्रहालय	-	2000.00	1900.00	3674.00	-
6.	नजूल पार्को हेतु	20.00	-	20.00	-	25.00
7.	अन्य अनुदान	-	202.04	-	-	-
	योग	**420.00**	**4,510.72**	**2720.00**	**3749.00**	**175.00**
(3)	डिपाजिट कार्य					
1.	सी.एस.आई.गोमती नगर	200.00	50.00	100.00	-	300.00
2.	कानपुर रोड योजना में हरिओम आश्रम हेतु	-	-	200.00	-	200.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	विकल्प खण्ड गोमती नगर में विशेष सुरक्षा बल हेतु भवनों का निर्माण कार्य।	-	626.53	100.00	-	300.00
4.	100 बस वें का निर्माण हरदोई रोड	-	-	85.00	-	85.00
5.	अन्य	100.00	13.12	-	383.42	-
	योग	**300.00**	**689.65**	**485.00**	**383.42**	**885.00**
(4)	सम्पत्ति के आवंटन से आय					
1.	आवासीय भूखण्डों की किस्तें एवं बिक्री	6900.00	11248.83	7200.00	8978.97	9400.00
2.	व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री एवं बल्क सेल	4500.00	3049.73	4500.00	4072.51	10000.00
3.	भवनों की बिक्री/किस्त से आय	6400.00	7671.61	6500.00	8266.46	4000.00
4.	व्यावसायिक/दुकानों की किस्तें/बिक्री	150.00	93.83	150.00	197.55	800.00
5.	किराये की सम्पत्ति की बिक्री से आय	200.00	9.69	100.00	37.80	50.00
	योग	**18,150.00**	**22,073.69**	**18,450.00**	**21553.29**	**24,250.00**
(5)	पंजीकरण से आय					
	भूखण्ड/भवन/दुकान	800.00	2696.67	1500.00	5160.14	5500.00
(6)	विविध आय	150.00	313.02	150.00	500.78	200.00
	योग	**950.00**	**3009.69**	**1650.00**	**5660.92**	**5700.00**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(7)	भण्डारण की कटौतियॉ					
1.	सीमेंट	100.00	69.17	100.00	172.40	200.00
2.	स्टील तथा अन्य	50.00	32.10	50.00	105.54	100.00
	योग	**150.00**	**101.27**	**150.00**	**277.94**	**300.00**
(8)	भवन/वाहन अग्रिम वापसी तथा विनियोगों का आहरण					
1.	कर्मचारियों से वाहन ऋण की वापसी	3.00	0.58	1.00	2.72	3.00
2.	कर्मचारियो से भवन ऋण वापसी	7.00	3.83	29.00	43.39	45.00
3.	विनियोगों का आहरण	2000.00	8,404 00	1,000.00	3413.95	2000.00
	योग	**2010.00**	**8,408.41**	**1,030.00**	**3460.06**	**2,048.00**
	कुल योग	**22,080.00**	**38,793.43**	**25,930.00**	**35,084.63**	**33,358.00**

व्यय पक्ष

राजस्व/पूँजीगत लेखे

पूँजीगत लेखा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों का प्रमुख अंश है इस लेखों से प्राधिकरण के कार्य-कलापों की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा उससे सम्बन्धित व्यय सम्पन्न किये जाते हैं। प्रमुख मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत प्रस्तुत है:-

1- भूमि अर्जन:

इस मद से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है उसका प्रतिकर भुगतान किया जाता है, प्राधिकरण की स्थापना से वर्ष 2003-2004 तक जिसका निरन्तर भुगतान करने का प्रयास किया जाता रहा है अवशेष प्रतिकर के सम्बन्ध में भुगतान पर अत्यन्त जोर दिया जा रहा है वर्ष 2003-2004 में प्रस्तावित रू0 7000.00 लाख के विरूद्ध रू0 3878.24 लाख का भुगतान इस मद में किया गया है। वर्ष 2004-2005 में अवशेष तथा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत नई अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 8000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। इस धनराशि के भुगतान करने के लिए प्राधिकरण श्रोतों से भुगतान करने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

2- मशीनरी एवं संयंत्रों/फर्नीचर का क्रय:-

इस मद में कुल प्राविधान रू0 90.00 लाख प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वित कम्प्यूटरीकरण एवं फर्नीचर क्रय प्रमुख है।

3- योजनाओं के विकास कार्य:-

विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खण्डों में तीव्र गति से विकास के कार्य चल रहे हैं जिनमें सड़कों के निर्माण, सीवर बिछाने का कार्य जल व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। गोमती नगर में

विकल्प, विनीत, विभूति, विपुल, विराट, विराज तथा वास्तु खण्ड तथा गोमती नगर विस्तार योजना इत्यादि में आन्तरिक तथा वाह्य विकास शीघ्रता के साथ पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जायेगा, शारदा नगर के खण्डों, कानपुर रोड़ की मानरारोवर योजना तथा सेक्टर एफ, सेक्टर-आई तथा सेक्टर- बी तथा डी-1 में व्यवसायिक क्षेत्र इत्यादि में तथा सीतापुर रोड़ में जानकीपुरम् विस्तार योजना सहित हरदोई रोड़ योजना सीतापुर रेाड सेक्टर-जे तथा अन्य योजनाओं में विकास कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाना है।

बजट में वर्ष 2003-2004 में विकास कार्य तथा अनुरक्षण हेतु रू० 7758.00 लाख का प्राविधान रखा गया था जिसके विरूद्ध 9899.47 लाख का व्यय वर्ष 2003-2004 में किया गया है वर्ष 2004-2005 हेतु 7800.00 लाख व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है तथा बाढ़ सुरक्षा हेतु रूपया 2150.00 व्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

सामान्य योजनाओं में विकास कार्यो के अतिरिक्त, योजनाओं तथा अन्य स्थानों पर मनोरंजन स्थल, सौन्दर्यीकरण, पार्को का विकास करने के उद्देश्य से तथा निकटवर्ती ग्रामों के विकास इत्यादि हेतु प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास के लिए अवस्थापना निधि से कार्य कराये जाने हेतु रू0 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

4- भवन निर्माणः-

इस समय प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर रोड सेक्टर-जे ग्राम पारा में भवन निर्माणाधीन है। बजट वर्ष में ग्राम पारा योजना में भवनों का निर्माण वानबे योजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार भवनों के निर्माण हेतु रू0 1290.00 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है भवन निर्माण के अतिरिक्त दुकानों तथा सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 60.00 लाख तथा प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु रू0 100.00 लाख अन्य निर्माण कार्यो

हेतु रू0 50.00 लाख, इस प्रकार निर्माण कार्यो हेतु कुल रू0 1500.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

प्राधिकरण अपनी योजनाओं के विकास कार्य एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त शासन तथा अन्य संस्थाओं के निर्माण कार्यो को भी करती है इस हेतु डिपाजिट कार्यो को भी बजट में प्राविधानित किया गया है। सी0एस0आई0, विकल्प खण्ड में पुलिस विभाग हेतु भवन निर्माण तथा अन्य डिपाजिट कार्यो हेतु रू0 1035.00 लाख व्यय प्राविधानित किया गया है।

भवन सामग्री क्रय हेतु रू0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है प्राधिकरण को शासन तथा हुड़को से प्राप्त ऋणों का भुगतान त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक/वार्षिक किस्त व ब्याज के रूप में करना होता है अतः इस मद हेतु रू0 1550.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार राजस्व तथा पूँजीगत लेखा में रू0 28,863.00 का व्यय प्राविधानित है। प्राधिकरण कृपया निम्नवत् रूप में वर्ष 2003-2004 का वास्तविक तथा वर्ष 2004-2005 का प्रस्तावित बजट पारित करने का कष्ट करें।

व्यय पक्ष

राजस्व व्यय

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2002-03	पुनरीक्षित/ वास्तविक बजट 2002-03	मूल बजट 2003-2004	पुनरीक्षित/ वास्तविक 2003-2004	प्रस्तावित 2004-05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	अधिष्ठान के वेतन भत्ते	1977.15	1793.53	2146.00	2018.96	2,242.00
(2)	मशीनरी संयंत्र, वाहन मरम्मत/ पेट्रोल/डीजल पर व्यय					
1.	वाहन/मशीन अन्य मरम्मत	40.00	96.31	50.00	91.68	60.00
2.	पेट्रोल/ईधन पर व्यय	40.00	76.51	50.00	105.00	90.00
3.	कानूनी व्यय	25.00	25.65	30.00	42.03	40.00
4.	स्टेशनरी/प्रिंटिंग	60.00	106.20	80.00	123.93	90.00
5	वर्दी	7.00	-	8.00	6.12	7.00
6	टेलीफोन	15.00	23.93	20.00	20.76	25.00
7.	बिजली	350.00	472.58	400.00	328.31	400.00
8.	विज्ञापन	80.00	155.64	100.00	161.42	200.00
9.	स्थानीय गृहकर एवं जलकर	5.00	33.54	25.00	11.68	15.00
10.	उपाध्यक्ष विवेकाधीन कोष	5.00	-	5.00	-	5.00
11.	जलपान व्यय	5.00	25.87	10.00	18.90	15.00
12.	आडिट फीस	20.00	20.00	36.00	36.00	100.00
13.	सामान्य स्टोर क्रय	-	-	-	-	15.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	पुस्तकालय पत्रिका	1.00	1.54	1.00	0.34	1.00
15.	मानदेय	5.00	11.39	5.00	15.25	10.00
16.	क्रीडा/प्रतियोगिताओं हेतु	2.00	0.30	2.00	4.31	4.00
17.	बैंक/शासकीय गारन्टी कमीशन	1.00	8.68	2.00	-	2.00
18.	कार्यालय भवन का रख--रखाव	25.00	45.29	40.00	77.65	80.00
19.	आवासीय भवन/दुकानों का रख–रखाव	5.00	0.13	5.00	0.21	5.00
20.	सा0 केन्द्र का रख–रखाव	2.00	1.17	2.00	0.84	2.00
21.	सीवरेज/जल सम्पूर्ति का रख–रखाव	50.00	52.02	40.00	32.96	30.00
22.	हाट मिक्स प्लान्ट का रख–रखाव	20.00	3.49	20.00	25.16	30.00
23.	कम्प्यूटर आदि का रख–रखाव	10.00	4.81	10.00	9.77	10.00
24.	पार्को के रख–रखाव पर व्यय	50.00	117.76	60.00	180.58	140.00
25.	अम्बेडकर मैदान का रख–रखाव	-	-	-	-	20.00
26.	सर्वे कार्य पर व्यय	10.00	5.34	30.00	8.18	50.00
27.	विविध व्यय	150.00	350.44	150.00	338.62	300.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	ऋणों पर देय ब्याज की वापसी					
1.	शासन/विश्व बैंक	210.00	-	178.00	-	500.00
२.	हुडको	450.00	276.59	58.00	11.98	50.00
3.	बैंक	37.48	0.18	7.00	-	-
4.	वित्तीय संस्थाएं	12.00	11.92	12.00	13.31	-
	योग-	**3669.63**	**3720.81**	**3582.00**	**3683.95**	**4538.00**

पूँजीगत व्यय

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2002-03	पुनरीक्षित/ वास्तविक बजट 2002-03	मूल बजट 2003-2004	पुनरीक्षित/ वास्तविक 2003-2004	प्रस्तावित 2004-05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भूमि का प्रतिकर					
	अध्याप्ति द्वारा	6000.00	6763.53	7000.00	3878.24	8000.00
	योग	**6000.00**	**6763.53**	**7000.00**	**3878.24**	**8000.00**
2.	अचल सम्पत्ति पर व्यय					
(1)	मशीनरी संयंत्र/भारी वाहनों का क्रय	40.00	51.11	25.00	53.83	50.00
(2)	विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकरण हेतु व्यय	20.00	9.23	20.00	12.62	20.00
(3)	फर्नीचर	10.00	73.26	20.00	17.99	20.00
	योग	**70.00**	**133.60**	**65.00**	**84.44**	**90.00**
3.	भूमि विकास पर व्यय					
(1)	योजनावार (परिशिष्ट–क)	5500.00	5167.85	7398.00	9314.89	7600.00
(2)	बाढ़ सुरक्षा हेतु	-	-	-	-	2150.00
	योग	**5500.00**	**5167.85**	**7398.00**	**9314.89**	**9750.00**
(2)	योजना अनुरक्षण पर व्यय	600.00	752.52	360.00	584.58	200.00
	योग	**600.00**	**752.52**	**360.00**	**584.48**	**200.00**
4.	निर्माण पर व्यय					
	योजनावार (परिशिष्ट–ख)	1360.00	699.64	1960.00	823.72	1500.00
	योग	**1360.00**	**699.64**	**1960.00**	**823.72**	**1500.00**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	भण्डार व्यय					
	सीमेंट	100.00	76.56	100.00	273.14	200.00
	स्टील/पाइप आदि	200.00	131.17	200.00	558.34	300.00
	योग	**300.00**	**207.73**	**300.00**	**831.48**	**500.00**
6.	ऋणों का प्रतिदान					
(1)	शासन	175.00	219.88	312.00	1522.30	1000.00
(2).	हुडको	1180.00	3426.65	148.00	637.76	-
(3).	बैंक	248.58	252.12	-	-	-
(4).	वित्तीय संस्थाएं	10.79	10.87	12.00	158.65	-
	योग	**1,614.37**	**3909.52**	**472.00**	**2318.71**	**1000.00**
7.	डिपाजिट वर्क					
(1).	सी0एस0आई० गोमती नगर	200.00	54.93	100.00	83.08	200.00
(2)	डा० भीमवार अम्बेडकर अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुस्तकालय एवं संग्रहालय	-	1179.70	2220.00	4472.34	-
(3)	डा० अम्बेडकर स्मारक	400.00	2012.19	100.00	422.40	-
(4)	अन्य डिपाजिट कार्य	160.00	322.19	40.00	358.59	-
(5)	डा० अम्बेडकर स्मारक (अनुरक्षण)	-	-	150.00	50.00	150.00
(6)	रमाबाई अम्बेडकर पर्यटक स्थल	-	-	300.00	75.51	-
(7)	विकल्प खण्ड गोमती नगर में विशेष सुरक्षा बल हेतु भवनों का निर्माण।	-	-	725.00	513.79	400.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8)	प0 दीन दयाल पार्क	-	7.39	5.00	4.56	-
(9)	डा० भीमराव अम्बेडकर रैली मैदान	-	-	300.00	-	-
(10)	बेगम हजरत महल पार्क	10.00	11.89	10.00	8.34	-
(11)	100 बस वें का निर्माण हरदोई रोड	-	-	85.00	-	85.00
(12)	कैसरबाग/हेरीटेज जोन	20.00	-	100.00	130.47	-
(13)	कानपुर रोड योजना में हरिओम आश्रम हेतु भवनों का निर्माण	-	-	200.00	-	200.00
(14)	महिला विद्यालय	5.00	-	-	-	-
	योग	**795.00**	**3588.29**	**4335.00**	**6119.08**	**1035.00**
8.	जमा धन/पंजीकरण की वापसी	600.00	955.39	600.00	996.43	1000.00
9.	भवन/वाहन अग्रिम	100.00	65.22	100.00	46.17	50.00
10.	सावधि जमा/पुर्न विनियोजन	2000.00	12270.03	1000.00	2643.38	1000.00
11.	अन्य व्यय	100.00	871.22	200.00	218.37	200.00
		2800.00	**1416.86**	**1900.00**	**3904.35**	**2250.00**
	कुल योग	**19039.37**	**35384.54**	**23790.00**	**27859.49**	**24,325.00**

वर्ष 2004-2005 में अधिष्ठान पर प्रस्तावित व्यय

(लाख रू० में)

क्र०सं०	विभाग का नाम	धनराशि
1.	लेखा विभाग	50.29
2.	अर्जन विभाग	29.03
3.	भवन विभाग	58.69
4.	मुख्य अभियंता विभाग	62.54
5.	अम्बेडकर विभाग	1.75
6.	चौकीदार विभाग	109.22
7.	कामर्शियल विभाग	7.98
8.	कास्टिंग विभाग	28.49
9.	अभियन्त्रण विभाग	351.00
10.	कम्प्यूटर विभाग	43.08
11.	विद्युत यांत्रिक विभाग	88.97
12.	अधिष्ठान विभाग	125.47
13.	हाट मिक्स प्लान्ट ड्राइवर	47.61
14.	विधि विभाग	36.66
15.	मेन्टीनेंस विभाग	10.43
16.	नगर महापालिका ट्रिब्यूनल	9.32
17.	नजूल विभाग	48.90
18.	प्लानिंग विभाग	33.00
19.	पुलिस विभाग	24.12
20.	जन सम्पर्क विभाग	19.72
21.	सम्पत्ति विभाग	86.87
22.	सम्पत्ति विभाग कानपुर रोड योजना	48.97

क्र०सं०	विभाग का नाम	धनराशि
23.	सम्पत्ति विभाग रायबरेली रोड योजना	12.47
24.	आर0बी0ओ0 विभाग	63.90
25.	रेण्ट विभाग	20.88
26.	अधि0 अभियंता बी0 विभाग	8.21
27.	सफाई कर्मचारी विभाग	27.89
28.	उद्यान नजूल विभाग	35.87
29.	उद्यान सामान्य विभाग	149.57
30.	विहित प्राधिकारी विभाग	9.03
31.	उपाध्यक्ष कार्यालय	6.29
32.	वर्कचार्ज कर्मचारी	261.17
33.	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी	84.15
34.	संविदा कर्मचारी/अधिवक्ता/चिकित्सक	5.46
35.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25.00
36.	पेंशन अंशदान	200.00
37.	सामूहिक बीमा अंशदान	4.00
38.	कर्मचारी कल्याण कोष अंशदान	6.00
	योग	2242.00

वर्ष 2004-2005 में विकास कार्यो तथा अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव

(परिशिष्ट-क)

(लाख रूपये में)

क्रम सं०	योजना का नाम	भूमि विकास सड़क निर्माण	मल, नाली जलोत्सारण	जल सम्पूर्ति	पार्क	विद्युतीकरण	गांवों का विकास	विकसित कार्यों का रख-रखाव	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
1.	विनम्र खण्ड	25.00	5.00	15.00	5.00	-	-	-	50.00
2.	वास्तु खण्ड	25.00	5.00	15.00	5.00	10.00	-	-	60.00
3.	विशेष खण्ड	10.00	5.00	5.00	2.00	-	-	3.00	25.00
4.	विराट खण्ड	-	-	-	-	5.00	-	10.00	15.00
5.	विराज खण्ड	10.00	30.00	-	-	30.00	15.00	10.00	95.00
6.	विनीत खण्ड	10.00	5.00	5.00	-	10.00	5.00	20.00	55.00
7.	विजयन्त खण्ड	25.00	5.00	15.00	5.00	5.00	-	3.00	58.00
8.	विक्रान्त खण्ड	15.00	10.00	5.00	2.00	5.00	-	2.00	39.00
9.	विभूति खण्ड	15.00	15.00	10.00	1.00	-	5.00	3.00	49.00
10.	विभव खण्ड	15.00	20.00	2.00	2.00	5.00	-	3.00	47.00
11.	विकल्प खण्ड	100.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00	-	320.00
12.	मानसरोवर	200.00	50.00	50.00	30.00	50.00	20.00	-	400.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
13.	गोमती नगर/वाह्य विकास	70.00	30.00	-	-	-	-	-	100.00
14.	गोमती नगर विस्तार	450.00	300.00	120.00	20.00	500.00	20.00	-	1410.00
15.	शारदा नगर	30.00	30.00	10.00	10.00	25.00	-	25.00	130.00
16.	ट्रान्सपोर्ट नगर	50.00	-	2.00	-	30.00	-	-	82.00
17.	कानपुर रोड	50.00	100.00	25.00	-	25.00	-	35.00	235.00
18.	विश्वास, विजय, विशाल विकास, विराम, विनय विवेक, विपुल खण्ड	-	-	-	-	5.00	-	20.00	25.00
19.	सीतापुर रोड	50.00	20.00	5.00	5.00	-	30.00	-	110.00
20.	सीतापुर रोड सेक्टर–जे	50.00	20.00	40.00	20.00	30.00	10.00	-	170.00
21.	प्रियदर्शिनी योजना	20.00	25.00	-	-	-	10.00	20.00	75.00
22.	जानकीपुरम् विस्तार	100.00	25.00	70.00	50.00	100.00	50.00	10.00	405.00
23.	हरदोई रोड	350.00	470.00	230.00	155.00	250.00	40.00	-	1495.00
24.	घसियारी मण्डी	5.00	5.00	-	2.00	10.00	-	-	22.00
25.	कैटिल कालोनी	10.00	-	-	1.00	-	-	-	11.00
26.	कैम्पबेल रोड	10.00	-	5.00	-	-	-	-	15.00
27.	सिन्र्डस डम्प	5.00	5.00	-	2.00	-	-	-	12.00
28.	पुराना आर०टी०ओ०	5.00	2.00	2.00	10.00	5.00	-	2.00	26.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
29.	नेपियर रोड	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00
30.	आजाद नगर	10.00	3.00	15.00	2.00	-	-	5.00	35.00
31.	ग्राम पारा	-	-	-	-	10.00	-	-	10.00
32.	नन्दा खेड़ा	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00
33.	अलीगंज	-	-	-	-		-	10.00	10.00
34.	टिकैतराय	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00
35.	कैलाशकुंज व्यावसायिक केन्द्र	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00
	योग	**1715.00**	**1235.00**	**696.00**	**339.00**	**1210.00**	**215.00**	**200.00**	**5610.00**

क्रम सं०	विवरण	योग रू0	5610.00	लाख
1.	टिकैतराय योजना का नगर निगम को हस्तान्तरण		50.00	
2.	शारदा नगर योजना का नगर निगम को हस्तान्तरण		75.00	
3.	सीतापुर रोड योजना का नगर निगम को हस्तान्तरण		50.00	
4.	अलीगंज/सीतापुर रोड योजना सीवर जल संस्थान को हस्तान्तरण		40.00	
5.	सीतापुर रोड योजना सम्पवेल जल संस्थान को हस्तान्तरण		30.00	
6.	कुड़ियाघाट तट विकास (प्राधिकरण द्वारा)		79.00	
7.	कुडियाघाट तट विकास (निर्माण निगम द्वारा)		201.00	
8.	सूरज कुण्ड पार्क		20.00	

9.	जमुना झील का विकास कार्य	10.00
10.	अलीगंज सम्पवेल	10.00
11.	सीतापुर रोड योजना की आन्तरिक सड़कों का हाट मिक्स प्लान्ट से कार्य वि0/यां0 द्वारा	50.00
12.	प्रियदर्शिनी योजना की आन्तरिक सड़कों का हाट मिक्स प्लान्ट से कार्य वि0/यां0 द्वारा	30.00
13.	जानकीपुरम विस्तार योजना की की आन्तरिक सड़कों का हाट मिक्स प्लान्ट से कार्य वि0/यां0 द्वारा	100.00
14.	33 के0वी0 लाईन शिफ्टिंग का कार्य	100.00
15.	अलीगंज स्टेडियम का विकास कार्य	5.00
16.	लाप्लास में फायर फाइटिंग/अनुरक्षण	50.00
17.	कुड़ियाघाट में विद्युतीकरण का कार्य	10.00
18.	महानगर योजना में सीवरेज पम्प संचालन	10.00
19.	रेन हार्वेस्टिंग	20.00
20.	योजनाओं में वि0/यां0 द्वारा जल सम्पूर्ति/सीवरेज कार्य	50.00
21.	नलकूपों का जल संस्थान को हस्तान्तरण	200.00
22.	अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु	1000.00
	योग	7,800.00

वर्ष 2004–05 में बाढ़ सुरक्षा हेतु व्यय प्रस्ताव

1.	गोमती नगर योजना	1500.00 लाख
2.	हरदोई रोड योजना	500.00 लाख
3.	अन्य योजना	150.00 लाख
	योग रू0	2150.00 लाख

वर्ष 2004-05 में निर्माण कार्यों पर व्यय प्रस्ताव

(परिशिष्ट-ख)

(लाख रूपये में)

क्रम सं०	योजना का नाम	विभिन्न श्रेणी	मध्यम आय के फ्लैट्स	दुर्बल आय वर्ग	आश्रय हीन भवन	व्यवसायिक भवन	सामुदायिक केन्द्र	योग केन्द्र
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	विराम खण्ड–5	20.00	-	-	-	-	-	20.00
2.	जानकीपुरम विस्तार	-	130.00	-	-	-	-	130.00
3.	मानसरोवर योजना	-	-	200.00	-	-	-	200.00
4.	हरदोई रोड योजना	-	-	-	50.00	-	-	50.00
5.	सीतापुर रोड योजना सेक्टर–जे	-	-	-	40.00	-	-	40.00
6.	ग्राम पारा (वानबे योजना)	-	-	-	800.00	-	-	800.00
7.	विराज खण्ड	-	-	-	-	30.00	-	30.00
8.	सीतापुर रोड योजना सेक्टर–एच	-	-	-	-	-	20.00	20.00
9.	अवध अपार्टमेंट	30.00	-	-	-	-	-	30.00
10.	प्रियदर्शिनी योजना	-	-	-	-	-	10.00	10.00
11.	घसियारी मण्डी	20.00	-	-	-	-	-	20.00
	योग	**70.00**	**130.00**	**200.00**	**890.00**	**30.00**	**30.00**	**1350.00**

क्रम सं०	विवरण	रू० 1350.00	लाख
1.	प्राधिकरण भवन निर्माण	95.00	,,
2.	बारादरी (प्राधिकरण भवन) विद्युतीकरण	5.00	,,
3.	प्राधिकरण स्टेडियम, अलीगंज	10.00	,,
4.	कानपुर रोड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	10.00	,,
5.	हरदोई रोड योजना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	10.00	,,
6.	ज्ञानकीपुरम विस्तार, सम्पवेल	10.00	,,
7.	सीतापुर रोड सेक्टर–डी सम्पवेल	10.00	,,
	योग	रू0 1500.00	लाख

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2004 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	श्री डी०सी०लाखा	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री जे०एस०मिश्र	सचिव, उ०प्र०शासन, आवास एवं शहरी नियोजन।
3.	श्री बी०बी०सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4.	श्रीमती आराधना शुक्ला	जिलाधिकारी, लखनऊ।
5.	श्री श्रीप्रकाश सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6.	श्रीमती प्रभावती	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
7.	श्री वी.के.गुप्ता	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि आवास आयुक्त, विशेष आमन्त्री।
9.	श्री एन.के.माथुर	महाप्रबन्धक, उ०प्र० जलनिगम, लखनऊ।

अन्य उपस्थित :

9.	कु० रेखा गुप्ता	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री नरेन्द्र भूषण	वित्त नियन्त्रक, ल०वि०प्रा०।
11.	श्री जी०एस०गोयल	मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०।

नवागन्तुक उपाध्यक्ष के परिचय एवं स्वागत के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **22** जनवरी, **2004** के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **22** जनवरी, **2004** के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **22** जनवरी, **2004** में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

क. जिन भवनों को शमनित करने का निर्णय लिया गया है, उनमें अशमनीय भाग को तोड़े जाने की प्रगति आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

ख. प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक २२.१.२००४ में प्रस्तुत गोमती नगर विपिन खण्ड में मल्टीप्लेक्स से सम्बन्धित अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि शासन व्दारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ग. गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अवगत कराया गया कि धारा-१३ उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त करने पर, उक्त स्थल पर लाइबेरी बनाये जाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतः निर्देश दिये गये कि वहॉ का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत लाइबरी में परिवर्तित कराया जाये । तदुपरान्त एक अच्छी लाइबेरी बनवाने की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष २००३-२००४ का वास्तविक तथा वर्ष २००४-२००५ का मूल आय-व्ययक।

निर्णय : — सचिव, ल०वि०प्रा० व्दारा वित्तीय वर्ष २००३-२००४ का वास्तविक तथा वर्ष २००४-२००५ का प्रस्तावित आय व्ययक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक व्दारा आय व्ययक में मुख्य रुप से प्रस्तावित आय तथा व्यय के लक्ष्यों का विवरण तथा उनके औचित्य के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया।

बजट प्रस्तावों पर विस्तृत रुप से चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी अपेक्षा की गई कि माननीय मुख्यमन्त्री जी व्दारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप शीघ्रातिशीघ्र अनुपूरक बजट प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 4 — इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु गोमती नगर विभूति खण्ड में आरक्षित 25.00 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित परिचालन से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : — परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 5 — अलीगंज आवासीय योजना के सेक्टर क्यु में श्रीमती शफातन को आवन्टित भवन संख्या ई.डी. २७८/क्यु पर लगाये गये पूर्ण दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 6 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत १७ वैयक्तिक सहायकों के पदों को वेतनमान ४०००–६००० से ४५००–७००० में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 7 — सीतापुर रोड योजना (जानकीपुरम) के सेक्टर एफ में सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल ६७८०.०० वर्ग मी.) के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० प्रकरण का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय संख्या : 8 — रायबरेली रोड स्थित मे. यूनिटेक लि० व्दारा विकसित साउथसिटी के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र के ब्लाक 'जे' में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड से आवासीय (ग्रुपहाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव साउथसिटी कालोनी के तलपट मानचित्र में स्थल की स्थिति को दर्शाते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 9 — गोमती नगर योजना के विशेष खण्ड में आरक्षित ' सामुदायिक सुविधाओ ' के भूखण्ड के आंशिक भाग (५०० वर्गमी०) के भू-उपयोग को 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि ले-आउट में नर्सिंग होम का भूखण्ड न होने के बावजूद आवन्टन की कार्यवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुध्द कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि अवशेष भू-क्षेत्र के निस्तारण हेतु साथ-साथ विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाये।

विषय संख्या : 10 — श्रीमती शीला चतुर्वेदी को आवन्टित भवन संख्या एमआईजी- १७ ए, सेक्टर सी, अलीगंज योजना पर आरोपित ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 11 — प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित ३१३१.३४ वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचारा

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया। इसके पूर्व आवन्टित भूखण्ड को ही यथावत् रखा जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 1 — हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित "अवध हाट" के निर्माण स्थल के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को अग्रसारित किया जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 2 — जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एफ" में भूखण्ड संख्याःसी-२/१७९ के सम्मुख तलपट मानचित्र में अंकित प्राइमरी स्कूल की भूमि के उपयोग को पार्क में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक
विषय संख्या : 3 — महायोजना २००१-२०२१ तैयार किये जाने हेतु यू०डी०पी०एफ०आई० गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त समिति व्दारा दी गई संस्तुति पर सहमति व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि तत्काल महायोजना के प्रारुप को अन्तिम रुप देते हुए अगस्त, २००४ के प्रथम सप्ताह में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त पेट्रोल पम्प वीरगति को प्राप्त शहीदों की विधवाओं को प्राथमिकता पर सीधे आवंटित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा सभी उपस्थित सदस्यों व्दारा इस प्रस्ताव की सराहना की गई।

अनुपूरक
विषय संख्या : 5

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चारबाग-बाराबंकी रेलपथ के १०८६। १७-१६ कि०मी० के मध्य निर्मित रेलवे क्रासिंग को विनीत खण्ड-७ से जोडने हेतु लगभग ६० मीटर लम्बी (९.० मी० चौड़ी) सडक के निर्माण के लिए स्थल के भू-उपयोग को "प्राइमरी स्कूल" से "सड़क" में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक
विषय संख्या : 6

महायोजना अथवा प्राधिकरण के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में उ०प्र०नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-१३ के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली प्रकिया में होने वाले व्यय को प्रासेसिंग शुल्क के रुप में आवेदक से वसूले जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपूरक
विषय संख्या : 7

रश्मि खण्ड, शारदा नगर स्थित आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन व्दारा विकसित कालोनी के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं के स्थलों के स्थान परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक
विषय संख्या : 8 — ट्रान्सपोर्ट नगर में आवन्टित भूखण्डों पर लगाये गये दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अनुपूरक
विषय संख्या : 9 — प्राधिकरण के प्रयोग हेतु दो नये वाहन क्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि पुराने वाहनों (निष्प्रयोज्य वाहनों) को शीघ्र नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 10 — नजूल भूखण्ड संख्या : ३४/३ बटलरगंज, गोखाले मार्ग, लखनऊ में साइड सेटबैक की चौड़ाई में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। साइड रोड पर प्रस्तावित सेटबैक ३.०० मीटर के स्थान पर डेढ़ मीटर किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

अनुपूरक
विषय संख्या : 11 — स्वर्ण पुष्प शिक्षा समिति को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड-६ में रियती दर पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपूरक
विषय संख्या : 12 — भवन संख्या : ३१/९३, महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ के आवासीय उपयोग में कार्यालय उपयोग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग हेतु यदि कोई शुल्क देय है तो तदनुसार कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 13 — पेपरमिल कालोनी स्थित 'पीला स्कूल' से सम्बन्धित भूमि के भू-उपयोग को 'कैफी आजमी सेमीनार हाल' के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

अन्य बिन्दु : —
१. निर्देश दिये गये कि डा.भीमराव अम्बेडकर स्मारक के न्युनतम अनुरक्षण, सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था तथा सफाई हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
२. सम्पत्तियों की रजिस्ट्री त्वरित गति से किये जाने हेतु ऐक्शन प्लान तैयार करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अन्त में अध्यक्ष ल०वि०प्रा० व्दारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(कु० रेखा गुप्ता) ९/१२/२०१५
सचिव

(बी०बी०सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लाखा)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
लखनऊ।